THE SALARIES AND ALLOWANCES OF MEMBERS OF PARLIAMENT(AMENDMENT) BILL 1975

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS, DEPARTMENT OF PERSONNEL AND DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI OM MEHTA): Sir, I beg to move:

"That the Bill further to amend the Salaries and Allowances of Members of Parliament Act, 1954, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

Sir, as the House is aware, the Joint Committee on Salaries and Allowances of Members of Parliament at its meetings held on the 4th and 5th April, 1973 made a number of recommendations for giving additional facilities to the Members of Parliament in order to enable them to discharge their duties more efficiently. Three of the recommendations made by the Joint Committee on the following subjects were accepted by Government last year and have since been implemented also, Sir, these icere:

(1) The numbe$_r$ of free telephone calls from both the telephones of Members was increased from 10.800 to 15,000.

(2) The road mileage allowance for Members was raised from 32 paise per Kilometre to *"Re.* 1/- per Kilometre.

(3) Two more Doctors were provided for domieilliary visits.

It has now been decided to agree *to* some more recommendations of the Joint Committee and for that purpose this Bill has been brought forward. The Bill enable$_s$ the Joint Committee to make rules in respect of water, electricity, constituency and secretarial facilities in addition to the house ing. and postal facilities already provided. It is also proposed that the Joint Committee may make rules to provide for a$_n$ amount in cash in lieu of all or any of the facilities mentioned in the Bill.

Sir, this is a non-controversial piece of legislation and I am sure the House would pass '.his Bill unanimously.

Sir$_)$ as you know, our Members of Parliament are the least paid in the whole world. Even our neighbour Pakistan pays much than what we are paying here. But due to financial stringency, it had not been posi-sible for us it increase either their salaries or their daily allowance. And also, due to difficult economic conditions, we thought let them suffer. But they have been suffering very long. They may suffer this thing for some time more unless our economic position improves and we can come to their rescue. But still we thought that certain facilities must be given to them to make their work more effective here in Delhi, in the State headquarters and in the constituencies. As you know, Sir, I have been a Member of Parliament for a number of years, and most of us have thi$_s$ experience except those who directly come to the Parliament and i are appointed Ministers. All others, who remain Members of Parliament for a number of years, have that experience and we know how difficult it is to function because we have to have three headquarters— one here in Delhi, the second one In the State capital, and the third one in the constituency. And if you must continue to work, you must have the liaison with all the three, it is not easy to run all the three establishments. Even for writing a letter, I have seen m$_y$ friends here going to the Rajya Sabha office to get their letters, etc, typed. So, sir, this has been a very hard struggle. I fully understand that we are not doing much to them. We know what we are doing today i* not much. But still, whatever the Joint Committee on the Salaries and Allowances of Members of Parliament has accepted, those recommendations we are trying to implement.

and that also partly. There are many recommendations. There are about 13 unanimous recommendations of the Joint Select Committee in which opposition Members were there and our Members were also there. They are: rent free accommodation in 'A' type flat with free servant quarter; water and electricity up to Rs. 600/-; ties; constituency allowance, trarel Oy ties; constituency alowance, travel by ACC; railways passes for family members of unmarried, widow/widower MPs.; same rail travel facility to spouses; pooling of 8 air journeys admiwri-ble to Members payement of DA flur-intermediate journeys; swearing in of of MPs before the Presiding Officers during off-session period; secretariat/, stenographic assistance. So, there are a number of Joint Select Committee recommendations. But we are not going into all of them. Whatever possible has been accepted by the Government. And with our difficult economic position and financial stringency, we are giving this, which is just a morsal. But still we are thinking that something is being done. And something is always better than nothing.

So, Sir, I commend this Bill to the House,

The question was proposed.

श्री प्यारे लाल कुरील उर्फ तालिब (उत्तर प्रदेश) : सभापति जी, मैं इस सिलसिले म ज्यादा नहीं कहना चाहता। हम लोगों को 500 रुपये महावार तनख्वाह दी जाती है। इन 500 रुपये में से किराया और दूसरी चीजों का खर्चा काट कर खासकर मैं अपने मुतल्लिक कहना चाहता हूं, कभी डेढ़ सौ रुपया मिलता है तो कभी 200 रुपया मिलता है पर 200 रुपये से ज्यादा हम को आज तक नहीं मिला। यह तो एक चपरासी की तनख्वाह के बराबर भी नहीं है। एक चपरासी भी आज कल 500 रुपये तनख्वाह पा लेता है और पब्लिक अंडरटेकिंग्स में तो इससे भी ज्यादा तनख्वाह एक चपरासी पाता है। एल०आई०सी० में चले जाइये या बैंक्स में चले जाइये वहां पर आप पायेंगे कि एक चपरासी को इससे कहीं ज्यादा तनख्वाह मिलती है। जहां तक तनख्वाह का ताल्लुक है वह इतनी कम है कि जिसके 4–5 बच्चे हों और दूसरे लोग हों वह इस तनख्वाह में गुजारा नहीं कर सकता। आप कहते हैं कि डेली अलाउंस मिलता है 51 रुपये। आप अन्दाजा लगाइये इस चीज का कि कांस्टिट्युएंसी से कितने ही लोग रोज हमारे यहां आते है और उनके लिये क्या-क्या करना पड़ता है। बाज दफा क्या, ज्यादातर, हमें उन लोगों को खाना-पीना भी देना पड़ता है। अगर हम लोग उनको खाना न खिलायें तो वे नाराज हो जाते हैं। They expect meals and that too both in the morning as well as in the evening. इस तरह से वे लोग हम से सब प्रकार की उम्मीदें करते हैं। दो तीन दिन हमारे पास ठहरने के बाद वे लोग हम से किराया भी मांगते हैं और मजबूर होकर हमें उन्हें किराया भी देना पड़ता है। इसके अलावा हमारे पास कितने ही खत कांस्टिट्यूएन्सीज से आते हैं। उन सब का हमको जवाब देना पड़ता है और चिट्ठियां टाइप करवानी पड़ती हैं। जहां तक टाइप के इंतजाम का सवाल है, सेशनल डेज में तो पार्लियामेन्ट हाउस में टाइप का इंतजाम है, लेकिन सेशन के बाद नान-सेशनल डेज में भी हमें खत लिखने पड़ते हैं और उनको टाइप करवाना पड़ता है। इस पर भी हम पैसे खर्च करने पड़ते हैं। इसके अलावा दर्जनों की तादाद में हमें मिनिस्टरों को खत लिखने पड़ते हैं और खुद भी उनके पास जाना पड़ता है। अगर हम चाहते हैं कि सही तौर पर अपनी कांस्टिट्यूएन्सी को रिप्रेजन्ट करें तो हमें ये सब काम करने पड़ते हैं। अगर हम चाहते हैं कि कोई भी मेम्बर नाजायज तरीके से पैसा न कमाये तो यह जरूरी है कि उसको इन सब चीजों के लिए सहूलियत प्रदान की जाय।

[श्री प्यारे लाल कुरील उर्फ तालिब]

मैं इतनी मुद्दत से पार्लियामेन्ट का मेम्बर हूं और आप जानते हैं कि मैं सेन्ट्रल एसेम्बली में भी था, लेकिन अभी तक मेरे पास अपना कोई मकान नहीं है। यह बात मैं मिसाल के तौर पर कह रहा हूं कि अगर कोई आदमी नाजायज तरीके से पैसा कमाये तो दूसरी बात है, मगर इस तनख्वाह में जो इस वक्त हमें मिलती है हम अपने बाल-बच्चों का पेट भी पूरी तरह से नहीं पाल सकते हैं। और न उनका तालीम दे सकते हैं।

इसके अलावा हमको कई बार अपनी कांस्टिटुएन्सीज में भी जाना पड़ता है और देहातों का दौरा करना पड़ता है। ऐसी हालत में इन सब कामों के लिए यह जरूरी है कि हमें उचित प्रकार की तनख्वाह और एलाउन्सेज दिये जायें। हमारी कांस्टिटुएन्सीज के लोग हम से बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं और हमें उनकी ख्वाहिश को पूरा करना पड़ता है। वे हमें वोट देते हैं। They are our voters मीलों हमें देहातों के अन्दर चलना पड़ता है। पार्लियामेन्ट के मेम्बर को इस वक्त जो तनख्वाह मिलती है उसमें यह सारा काम नहीं चल सकता है। लेकिन दूसरी तरफ हम यह भी सुनते हैं कि पार्लियामेन्ट के मेम्बरों को बहुत-सी फैसिलिटीज मिलती हैं। चारों तरफ इस बात का शोर सुनाई पड़ता है कि पार्लियामेन्ट के मेम्बरों को बहुत-सी सुविधाएं मिलती हैं और वे लोग फ्री ट्रेवल करते हैं। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि हम लोग कितनी बार साल में ट्रेवल करते हैं? चौबीसों घंटे तो हम ट्रेवल नहीं कर सकते हैं। मजबूरी की हालत में ही हमें ट्रेवलिंग करनी पड़ती है। बहुत मुश्किल से हम अपनी स्टेटों के अन्दर जा पाते हैं। इसमें उम्र का भी तकाजा है। हमें अपनी बीवी भी साथ में ले जानी पड़ती है क्योंकि उमर के तकाजे के कारण रास्ते में अगर हमें चाय पीने की जरूरत पड़े तो अपनी बीवी हमें चाय पिला सकती है। आमतौर पर हर एक आदमी की बीवी उससे 10—12 वर्ष उम्र में छोटी होती है और इस कारण से वह यात्रा के वक्त अच्छी मदद कर सकती है..... (*Interruptions*) अगर किसी की बीवी नहीं है तो वह इस वजह से दूसरे की औरत को बीवी बनाकर ले जाते हैं। आप इस बात को चेक नहीं कर सकते हैं। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप, लोगों को इस बात का मौका न दें कि वे दूसरी औरत को अपने साथ ले जाएं और दूसरे की लड़कियों को एक्सप्लोइट करें। इसके साथ-साथ मैं एक बात यह भी कहना चाहता हूं कि किसी की भी वाइफ इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकती है कि वह तो खुद फर्स्ट क्लास में ट्रेवल करे और उसकी बीवी सेकन्ड क्लास में एटेंडेन्ट के रूप में ट्रेवल करे। कोई भी बीवी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकती है और कम से कम मेरी बीवी तो इस बात को बर्दाश्त करने के लिए राजी नहीं है। वह सेकन्ड क्लास में ट्रेवल करने से इंकार कर देती है। इसलिए वक्त का तकाजा यह है कि स्पाउजेज को भी फर्स्ट क्लास की रिआयत मिलनी चाहिए और उनको भी पूरा पास मिलना चाहिए। वरना इन सहूलियतों का कोई फायदा नहीं है। हम लोग बारबार ट्रेवल नहीं करते हैं। मजबूरी की हालत में ही वाइफ को साथ ले जाना पड़ता है। इसलिए यह ठीक नहीं है कि हसबेन्ड तो फर्स्ट क्लास में ट्रेवल करे और वाइफ सेकन्ड क्लास में ट्रेवल करे। सारे सदस्य यह चाहेंगे, और हमारा यह जबर्दस्त तकाजा है कि अगर आप रेलवे पास देते हैं और साथ में बीवी भी चलती है तो उसके वास्ते भी वही पास दीजिए वरना आप यह रेलवे पास की फैसिलिटी रहने दीजिए क्योंकि बाहर इतना प्रापेगेण्डा होता है एम०पी० के बारे में कि ये लोग बड़ा मजा करते हैं, बड़ा घूमते हैं, मुफ्त में घूमा करते हैं। हमको 1000 रु० और दे दीजिए और उसके बाद रेलवे पास वापस ले लीजिए, यह आल्टरनेटिव्ह मैं आपके

बताऊंगा । तो मैं इस बात पर जोर डालना चाहूंगा कि अगर आप रेलवे पास देते हैं तो उसी में इस्पाऊज को भी पास मिलना चाहिए, अटेण्डेंट को अलाहिदा मिलना चाहिए क्योंकि एक आदमी जो हमारे साथ चले, जो हमारा काम कर सके उसको साथ ले जाने में सहूलियत हो ।

इसके बाद जनाब, मैं एक और चीज की तरफ ध्यान दिलाऊंगा । एक गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट जिसकी 10 साल की सर्विस हो जाती है तो वह पेन्शन का हकदार हो जाता है; यही हालत आरमी में है, पुलिस में है, दूसरे सरकारी महकमों में है, जहां तक कि मेरी इन्फारमेशन है । लेकिन अगर कोई बीस-बीस, पच्चीस-पच्चीस साल तक मेम्बर पार्लियामेंट हैं तो उसको पेन्शन का कोई हक़ नहीं है । सारी जिंदगी उसकी गुज़र जाती है लेकिन रिटायर होने के बाद उसके पास कुछ नहीं रहता गुज़ारे के लिए । मैं अपनी ही मिसाल बताता हूं कि मुझे पच्चीस-छब्बीस साल का अरसा गुज़र गया मेम्बर बने हुए । पहले मैं सेन्ट्रल लेजिस्लेटिव्ह असेम्ब्ली का मेम्बर बना। मैं वकील हूं, एडवोकेट हूं, मैं आज शाप का एडवोकेट होता, या जज होता और उस जमाने में कोई नहीं था, हमारे बीकर सेक्शन में से कोई एडवोकेट नहीं था । मगर मैं पूरी तरह से अपने पेशे की तरफ ध्यान नहीं दे सका क्योंकि मैं पार्लियामेंट और सियासी एक्टिविटीज़ के काम में लगा रहता हूं और अगर मैं कहूं तो यह भी एक चस्का है कि एक बार कोई सियासत में चला गया फिर वापस नहीं आता, जसे शराब पीने का किसी को चस का होता है, सिगरेट पीने का चस्का होता है । तो हम उस चस्के के मोहताज हो गए हैं जिसे सियासी एक्टिविटीज कहते हैं । हाईकोर्ट के पैनल में, लखनऊ में, मेरा नाम है मगर मेरे पास जो गवर्नमेन्ट की तरफ से केसेज़ प्लीड करने को मिलते हैं वह मैं एक भी नहीं कर पाता । जब भी कोई ऐसा केस आता है मुझे यहां-वहां आना जाना पड़ता है, या कमेटी की मीटिंग्ज में जाना पड़ता है या दूसरी जगह काम में जाना पड़ता है। तो पैनल में नाम होते हुए भी मैं अपने पेशे की तरफ ध्यान नहीं दे पाता ।

जो लोग मेम्बर बनने के लिए यहां आते हैं, मैं आपको सहं बताता हूं, उनम 50 फीसदी एसे हैं जो सिर्फ पैसे के लिए आते हैं । आज अगर उनको पेन्शन मिलने लग तो 50 फीसदी मेम्बर उतनी दौड़-धूप नहीं करेंगे । टिकट मांगने के लिए हर क़िस्म की कार्रवाई करते हैं कि जिससे मेम्बर बन जाएं; वह महज इसलिए कि एक आमदनी का ज़रिया समझा जाता है । कुछ लोग हैं जो नाजायज तरीके से कमाते हैं, हर तरीक़े से धोखा देने की कोशिश करते हैं, हर हरबा इस्तेमाल करते हैं, जाली संस्थाएं बनाते हैं जिसकी कोई बुनियाद नहीं है, बड़े-बड़े लोगों की खुशामद करते हैं, ये सब कुछ करते हैं, तो आपको चाहिए इन सब बातों को रोक दीजिए । पार्लियामेंट के मेम्बरों की पेन्शन मुक़र्रर कर दीजिए । एक मीयाद रख दीजिए 10 साल जो मेम्बर पार्लियामेन्ट रहे उसको रखिए, 10 साल का न रखिए तो 15 साल तक वाले को रखिए, नहीं तो 20 साल रख दीजिए, लेकिन पेन्शन ज़रूर दीजिए । मिलिट्री में, पुलिस में पेन्शन मिलती है, गवर्नमेन्ट के और शोबों में मिलती हैं, यहां तक कि प्रेसीडेन्ट आफ इंडिया को मिलती है । जब उन सब आदमियों को मिलती है तो हमने क्या कसूर किया है ? हम भी जनता की सेवा के लिए काम करते हैं, आप हमें भी पेन्शन दीजिए ।

श्री कार्ल मुखर्जी (पश्चिमी बंगाल) : वाइस प्रेसीडेंट को भी दीजिए ।

श्री प्यारे लाल कुरील उर्फ तालिब : वह भी मिल जाएगा । तो यह सब है । ख़ास

[श्री प्यार लाल कुरैल उर्फ तालिब]

कर रेलवे पास के लिए कहूंगा कि इसपाऊज को भी रेलवे पास जरूर देना चाहिए । चूंकि नहीं मिलता है, हमने खुद अपनी आंखों से देखा है सदस्यों को दूसरी औरतों को साथ ले जाते हुए, कोई देखने वाला भी नहीं है, व अटेण्डेंट बना कर ले जाते हैं । इसलिए आप वह जरूर कीजिए, जिससे हमारी एक्टिविटीज पर एक तरह से पाबंदी हो जाएगी और हम सही तौर पर, दयानतदारी के तौर से काम करेंगे ।

श्री जगदीश जोशी (मध्य प्रदेश) : सभापति जी, यह विधेयक काफी देर के बाद आया है और माननीय मंत्री जी ने वाजिब ही कहा है कि हम लोग दुनिया की सारी पार्लियामेंटों में सबसे कम तनख्वाह, पगार या भत्ता पाने वाले लोग हैं ।

श्री ओम मेहता : पाकिस्तान से भी कम ।

श्री जगदीश जोशी : हां, पाकिस्तान से भी कम । अभी हाल में विलायत में बढ़ाया गया है । यहां भी कई असेम्बलियों में, मध्य प्रदेश की असेम्बली का मैं अर्ज कर दूं, वहां 600 रु० मिलता है एक एम०एल०ए० को । महाराष्ट्र में वहां के विधायकों को 700 रुपया माहवार मिलता है । और इस तरह से कई असेम्बलियों के विधायकों को हमसे ज्यादा मिलता है । मुझे तो यह कहना नहीं है कि हर स्टेट असम्बली के मेम्बरों को क्यों ज्यादा मिलता है, लेकिन जहां तक हमारे और उनके वेतन का सम्बन्ध है उसके बारे में मैं कह रहा हूं । स्टेट असेम्बलियों के विधायकों को रेलवे पासेज भी दे रखे हैं । हम लोगों को भी रेलवे के पासेज मिले हुए हैं, लेकिन रोडवेज के पास हर जगह के लिए नहीं दिये गये हैं । पार्लियामेंट का जो मेम्बर होता है उसका कार्यक्षेत्र सारे हिन्दुस्तान में होता है । अगर कोई भी राष्ट्रीय समस्या होती है, चाहे खाद्यान्न के सम्बन्ध में हो, बाढ़ के सम्बन्ध में हो, कोई भी राष्ट्रीय समस्या हो, उसके लिए उसको सारे मुल्क में जाना पड़ता है । असेम्बली के जो मेम्बर होते हैं उन्हें तो अपने सीमित क्षेत्र तक ही काम करना पड़ता है, लेकिन जो पार्लियामेंट के मेम्बर हैं, उनका क्षेत्र बड़ा होता है और सारे मुल्क की सीमा उनके अन्दर आती है राज्यों के अलावा । तो मेरा एक सुझाव है जिस पर सरकार विचार करे ।

मैं यह नहीं कहता कि आपात-कालीन स्थिति में हमको लम्बी चौड़ी तनख्वाह दी जाय, लेकिन तालिब साहब ने एक बात बड़ी दर्दभरी कही है और वह हम लोग कह सकेंगे या नहीं कह सकेंगे, लेकिन वह बात बिल्कुल हकीकत है । आपने संसद के सदस्यों को कोई गारन्टी नहीं दे रखी है और कोई गारन्टी भी नहीं होनी चाहिये क्योंकि कोई आज है तो वह पांच साल बाद या 10 साल बाद होगा या नहीं, कोई सरकार आज है; वह पांच साल बाद या दस साल बाद रहेगी या नहीं, इसकी कोई गारन्टी नहीं है । लेकिन हमारे यहां जो लोकतंत्र है, वह तो बरकरार रहेगा और संसद सदस्यों को इतना कम वेतन देने के बाद और उनके लिए किसी तरह की कोई पैंशन की व्यवस्था न करने की वजह से एक संकटपूर्ण स्थिति पैदा हो जाती है । अगर कई भूतपूर्व संसद सदस्यों की आर्थिक हालत के बारे में जायजा लिया जाय और उनके घर जाकर उनकी स्थिति का पता चलाया जाय, तो मालूम होगा कि जिन संसद सदस्यों ने 10 या 15 साल तक ईमानदारी के साथ अपना काम किया उनकी घर की हालत बहुत खराब है और वे मजबूरी के साथ चूंकि वे पार्लियामेंट के मेम्बर रह चुके हैं या हैं, इस तरह का जीवन व्यतीत कर रहे हैं । अगर कोई संसद सदस्य उनके यहां जायेगा तो वे उसका स्वागत करेंगे क्योंकि ये भी संसद सदस्य रह चुके हैं । इस तरह के कई संसद सदस्यों के

साथ मिलने और बैठने का मुझे अवसर मिला है और उसी तजुर्बे के बिना पर मैं यह बात कह रहा हूं चाहे आप पेंशन की व्यवस्था करें या न करें। लेकिन मैं आप से यह कहना चाहता हूं कि श्री तालिब साहब ने जो बात कही है, वह बात बहुत से लोगों के मन को साल गई होगी। श्री तुलमोहन राम का प्रकरण इस सदन में आया था। क्या हमने इस बात पर भी गौर किया कि इस तरह की बात लोग क्यों करते हैं ? इस तरह की घटना क्यों हुई ? मैं उस प्रकरण को खास बात पर नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन जो उसकी मजबूरी का हिस्सा है, उस पर मैं कहना चाहता हूं। कोई भी आदमी यह नहीं चाहेगा कि वह इस तरह की बातों को करे। जब किसी पर मजबूरी हो जाती है, मुश्किल आ जाती है, तब वह इस तरह की बातों को करने पर आमादा हो जाता है। वैसे तो यह किस्सा बहुत छोटा था और उसका तिल का ताड़ बना दिया गया। दूसरी जगह पार्लियामेंटों में इस तरह के किस्से होते रहते हैं बल्कि वहां के पार्लियामेंटों के सदस्यों से बहुत से किस्से होते हैं, हुए हैं। कई मुकदमे चले और कई नहीं चले, लेकिन वहां पर इस तरह की बातों को बहुत गम्भीरता के साथ नहीं लिया जाता है।

हमारे मुल्क में अजीब हालत है। यहां पर अगर किसी आदमी को बदनाम करना हो, तो सिर्फ यह कह दिया जाय कि फलां आदमी तो पैसा खाता है। इतना कह दिया जाय कि फलां आदमी खराब है और पैसा खाता है, तो उसके खिलाफ सब बोलने लगते हैं। क, ख, ग, यह आदमी जो है पैसा खाता है, इसने काफी पैसा बना लिया है, इस तरह की ब्लैंकेट चिट उसको मिल जाती है। इसी तरह से अगर किसी औरत को बदनाम करना है, तो उसके लिए यह कह दिया जाय कि यह तो किसी आदमी के साथ घूमती थी। अगर इतनी बात कह दी जाय तो इस देश के अन्दर किसी आदमी या औरत पर ब्लैंकेट आरोप लगा दिया जाता है और इस चीज ने इस देश के जन-जीवन को झकझोर दिया है। मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि संसद सदस्यों के बाबत बहुत से किस्से सुनने को मिलते हैं और इनमें से बहुत से मिथ्या होते हैं, बहुत से गढ़ दिये जाते हैं। आपने इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं की है कि इस तरह की बातों को रोका जा सके। मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि एक पार्लियामेंट का मेम्बर जो एक गम्भीर चीज पर बहस करना चाहता है, कुछ जानकारी चाहता है—और जानकारी जरूरी नहीं है कि दिल्ली में ही मिल जाय—तो उसे बंगलौर टेलीफोन करना पड़ सकता है, बम्बई टेलीफोन करना पड़ सकता है, मद्रास टेलीफोन करना पड़ सकता है। एक टेलीफोन उसने किया तो उसकी कम से कम 20 दिन की तनख्वाह चली गयी। अगर उसको किसी राष्ट्रीय महत्व के सवाल पर, जिससे उसका अपना कोई मतलब न भी हो, मानो तेल का सवाल है, बम्बई के अन्दर कुएं की खुदाई में कुछ गड़बड़ी हो रही है, उसकी ओर वह संसद का ध्यान आकर्षित करना चाहता है, राष्ट्रीय हित में एफेक्टिव काम करने के लिए बम्बई में किसी आदमी को टेलीफोन करता है तो उसकी 5–6 दिन की तनख्वाह चली जायगी। मैं कहता हूं कि आप ज्यादा मत करिए, 5—10 टेलीफोन देश भर में कर सकने की इजाजत एक संसद-सदस्य को दीजिए। पूरे देश के लिए नहीं देनी है तो कम से कम उसके प्रान्त की राजधानी और उसके क्षेत्र के लिए तो दीजिए। मान लीजिए कोई केरल का संसद-सदस्य है या कोई आन्ध्र का संसद-सदस्य है, उसको अपने जिले के सदरमुकाम से कोई जानकारी लेनी है, जहां का वह एम० पी० है, जहां का वह प्रतिनिधित्व कर रहा है तो टेलीफोन से ही सम्पर्क करेगा। मैं अपने 5–6 बिल तनख्वाह के पेश कर सकता हूं। तीन महीने का तो केरी-ओवर हो गया, एक पैसा नहीं मिला। इस महीने में 500 की जगह 12

[श्री जगदीश जोशी]

रुपए मिले हैं । टेलीफोन कुछ ज्यादा भी करता नहीं हूं । जब करता हूं तो मजबूरी में करता हूं । यह स्थिति है। ओम जी का कमरा है, कभी उनके कमरे से बैठ कर दो-चार ट्रंक काल कर लेता हूं। क्यों अपनी बात छिपाऊं। हर सदस्य तो ऐसा नहीं कर सकता। अभी आपने जो लोकल काल्स की सुविधा दी है उसमें महीने का औसत 400 का है। इसके हिसाब से दैनिक औसत 10–12 काल पड़ते हैं । एक सक्रिया संसद सदस्य के सत्र के काल में 40–50 से कम लोकल काल्स तो हो ही नहीं सकते । मैं आपसे कह रहा हूं कि सुविधा के साथ जो आपने जिम्मेदारी लाद दी है उसका भी लेखाजोखा आप कर ल जिए । यह जो 10,500 काल्स की आपने व्यवस्था की है, यह करीब-करीब नगण्य है ।

इसके अलावा क्षेत्र के दफ्तर की कुछ बात चल रही है, कुछ सेक्रटरियल एलाउंस की बात चल रही है । मैं फिर कहना चाहता हूं कि आप सेक्रटरियल एलाउन्स भले ही न दें, आप सेक्रटरी एम पी को दे दीजिए । आप हमको एफक्टिव रखना चाहते हैं तो एक स्टनोग्राफर हिन्दी का या अंग्रजी का, जैसी सुविधा हो, दे सकते हैं । आपके यहां के स्टेनों को क्या तनख्वाह मिलती है । अगर 100–200 रुपया सेक्रटरियल एलाउन्स दे देंगे तो पार्ट-टाइमर भी मुश्किल से मिलेगा । टाइपराइटर खरीदना पड़ेगा । अब मुश्किल यह है कि कितने एम पी हैं जिनके पास टाइप-राइटर होगा । तो टाइपराइटर के लिए कहीं से लोन की व्यवस्था करवा दें ताकि वे हायर-परचेज में मिल सके । आप जो पैसा दे रहे हैं उससे तो कोई पार्ट-टाइमर सेक्रेटेरियल में काम करने वाला आ सकता है । और अब तो वह भी नहीं आएगा क्योंकि आजकल इमरजेंसी है और सेक्रेटेरियट से जो पार्ट-टाइमर मिल जाया करते थे उनकी भी हिम्मत नहीं पड़ती । 10 से 5 दफ्तर में बैठना पड़ता है, नियम तो बहुत अच्छा बन गया है लेकिन अब पार्ट-टाइम स्टैनोग्राफर भी नहीं मिलेगा । मैं जानता हूं कि पहले बीसियों टेलीफोन आते थे कि हम पार्ट-टाइम काम करना चाहते हैं । लेकिन अब इमरजेंसी लगी है तो कोई नहीं आता क्योंकि 10 से 5 बजे तक ड्यूटी करनी पड़ेगी, कौन बेकार काम करे । वह भी रेस्ट्रिक्शन हो गया है । अब प्रोफेशनल पार्ट-टाइमर को लेंगे तो उनको पैसा ज्यादा देना होगा ।

दूसरा जो क्षेत्र वाला एलाउन्स है उस पर आप भी गौर कर लीजिए । अगर कोई संसद-सदस्य एक बार भी मोटर-साइकल से मैं जीप की बात नहीं कर रहा—अपने संसदीय क्षेत्र में घूमे तो उसके तेल का कितना खर्चा पड़ जायगा । कार को छोड़ दीजिए, केवल स्कूटर में पैट्रोल डाल कर घूमेंगे तो ही कितना खर्च पड़ जायेगा इस का आप औसत लगा लीजिए । आप का जो एलाउन्स आ रहा है उस का अंश भी उस को नहीं छुयेगा । मोबील आयल भी नहीं अयेगा उस में । तो मेरी अर्ज यह है कि अगर आप इसे एफेक्टिव बना रहे हैं तो ठीक से बनाइये । मैं तो समझता हूं कि आप हम को एक-एक स्टैनोग्राफर दे दीजिए । 750 एम पीज हैं, उस से 750 नये लोगों का इंप्लायमेंट मिलेगा और काम भी होगा और वह ज्यादा एफेक्टिव होगा ।

स्पाउज पास और परिवार पास की बात भी आयी है । स्पाउज पास को बाबत मुझे कहना है कि आप इस को सख्त कीजिए । अब सुना है कि पहले दर्जे का एक और एक तीसरे दर्जे का मिलता है । उस की जगह चर्चा अब यह है कि पहले के ही दो कर दिये जाये । मेरी अर्ज यह है कि दो पहले आप न करें, आप सारे को दूसरे का कर दें लेकिन सब को यूनिफार्म तौर पर दीजिए । आप दूसरे दर्जे का कर दीजिए लेकिन सब के लिये, लेकिन मेरा कहना यह है कि आप दूसरे

दर्जे का पास जो दे रहे हैं उस को बन्द मत करिये और पहले का जो पास है उस में कंपल्सरी कर दीजिए कि उस के साथ उस का पत्नी ही हो ।

SHRI M. P. SHUKLA (Uttar Pradesh) : What about unmarried member? What about widowers? Bateh-elor has no spouse. There is no equality among the members themselves.

श्री खुरशीद आलम खान (दिल्ली) : दिल्ली की बीबियों को बहुत शिकायत है कि उन को सफर करने का मौका ही नहीं मिलता है ।

SHRI JAGDISH JOSHI: My friend has no spouse.

MR. CHAIRMAN: Don't try to reply to all questions.

श्री जगदीश जोशी : मेरा निवेदन यह था कि जिस तरह से आप ने स्पाउज पास दे रखे हैं सेशन टाइम में आने के लिये तो चाहे हर जगह के लिये न हों लेकिन साल में एक बार आने और जाने के लिये जो दूर दूर के संसद् सदस्य हैं उन के जो अनमैरिड लड़के और लड़कियां हैं उन को भी आप उन के साथ आने के लिये पास की स्वीकृति दीजिए । एक बार आने और एक बार जाने की । जो उन के छोटे या अनमैरिड बच्चे हैं, जो उन के आश्रित हैं उन के लिये पास होना चाहिए, आप जो बालिग हैं या विवाहित है उन को छोड़ दीजिए । इतना अगर आप कर देंगे तो इस से लोगों को आवागमन में काफी सुविधा हो जायगी ।

दूसरे जो दिल्ली के संसद् सदस्यों की बात कही गयी, वह जायज है । जब आप सब के लिये यूनिफार्म कर देंगे कि वह पत्नी के साथ जायं, तो पत्नी या पति जो जायगा वह एक दूसरे पर निगरानी रखेगा । हमारे देश में तो नर और नारी दोनों के लिये समानता का सिद्धांत रहा है । सीताराम कहते हैं, राम सीता नहीं कहते । हमारे यहां पहले स्त्री की वंदना होती है, पुरुष की नहीं । अगर इसे आप अनिवार्य कर देंगे तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी ।

पोस्टल फैसिलिटीज के बारे में मुझे निवेदन करना है कि उस के लिये 50 रुपये की व्यवस्था है । मेरा निवेदन है कि आप उसे पैसे के रूप में मत दीजिए । आप उस के बदले हमें सर्विस स्टैम्प्स दे दीजिए 100 रुपये के क्योंकि 100 रुपये से कम से स्टैम्प्स में हमें प्रभावी ढंग से अपना काम नहीं कर सकेंगे क्योंकि संसद् सदस्य का कार्यक्षेत्र बहुत लम्बा होता । कहीं 5, 7, 8 तो विधान सभा क्षेत्र होते हैं, फिर उस के अन्दर प्रखंड होते हैं, पंचायतें होती हैं और अगर एक लोक सभा का सदस्य उन सब से संपर्क रखेगा तो उस के लिये बड़ी मुश्किल पड़ेगी । जो राज्य सभा के मैम्बर हैं उनके जो मतदाता हैं वह विधायक होते हैं, उन विधायकों की अनेक समस्यायें होती है । अगर आप महीने में दो बार, बार बार भी खत लिखिएगा तो 40–50 रुपये पोस्टेज का पैसा देने से वह हो नहीं पायेगा । बजाय पोस्टेज के लिए पैसा देने के आप सर्विस स्टाम्प्स दे दें तो वह अनुचित नहीं होगा, उचित होगा ।

वाटर रेट, और दूसरी जो सुविधायें जोड़ी जा रही है इनकी मात्रा बढ़ा देनी चाहिए जितना आज आप देने जा रहे हैं उसमें यह पूरा हो नहीं सकता है । उसका एक यार्डस्टिक बनाकर के एक आधिकारिक तौर पर उसको रखा जाए ।

अन्त करते समय मैं निवेदन करूंगा कि 500 रुपये का जो आपका वेतन क्रम है यह उचित नहीं है । संसद् सदस्य को इनकम टैक्स पेयर, मैं समझता हूं कि होना चाहिए । हम लोगों को इनकम टैक्स न लगे इस प्रकार की प्रक्रिया से बचना चाहिए । हमारी चाहे एक रुपया तनख्वाह अधिक हो लेकिन टैक्स-

[श्री जगदीश जोशी]

पेयर के ऊपर की कैटेगरी में हो ताकि हमारी तनख्वाह का पैसा भी कटकर जाए । मैं आपसे इतनी अर्ज कर दूं कि हम में से कई लोग ऐसे हैं जो काफ़ी इनकम टैक्स देते रहे, वकालत जो लोग करते रहे उनको भले ही आर्थिक तौर पर थोड़ा बहुत नुकसान हो लेकिन इनकम टैक्स वह देते हैं लेकिन जो हम लोग यहां पर हैं कई बार इस तरह की समस्यायें आती हैं, आदमी जब एक बार नहीं देता कहीं और काम में फंस गया और फिर एक बार जांच हुई तो सारा मामला खुल जाता है । मैं समझता हूं कि आप हमारी तनख्वाह इस स्तर पर लाइये कि इनकम टैक्स देने वालों की श्रेणियों में हम आवें । हम उससे बरी क्यों रहे । 8 हजार रुपये तनख्वाह कम से कम हो । चाहे ऐलाउंस कहिए लेकिन टैक्स हो । अगर टैक्स नहीं होगा तो हम कानून बनाते हैं दुनिया में टैक्स लगाने का हम टैक्स न दें तो इससे ज्यादा हास्यास्पद बात क्या हो सकती है कि हम संविधान निर्माता हैं; कर निर्माता हैं और टैक्स नहीं देते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि वह टैक्स की परिधि में आ जाने चाहिए ।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं ।

SHRI LAKSHMANA MAHAPATRO (Orissa): Mr. Chairman, Sir, this being a Bill which is only to enable the Committee to decide what is to be paid and what is not to be paid and whether it is to be paid in kind or in cash, there is not much to talk about at the moment. This being an enabling Bill, it entitles Members of Par-liment to certain facilities, in addition to those which are already in existance. Further, this is resorted to only because of the unanimous recommendations of the Joint Committee. Therefore,there is no cause to oppose, but incidentally I want to draw the attention of the hon. Minister, through you, Sir, to certain important matters that need consideration. 1 hope, when the authority that is being given by this law is exercised and the details are worked out, it will be definitely in consultation with all sections of this House and the other House. There are divergent opinions as to what is to be given and what is not to be given, but I do not wish to speak on that. In fact, some Members of the other House have pleaded that it should not be given in cash but it should be given in kind only. The purpose for which this particular Bill is being brought forward is to make Members more effective in their functioning. That can be really achieved if the facilities are provided in kind and not in cash, but I am not talking on that. Whether it should be paid in cash or in kind is a matter for very careful consideration, taking into account, certain things. I shall incidentally point out certain things, not things that relate to our comfort which we very much claim, as some friends who spoke before me mentioned in their speeches. Certainly, no Member of Parliament would speak for a very comfortable or luxurious way of life; all the same everybody would not hesitate to plead for a life which is not uncomfortable. I have gone to different countries with certain delegations. I have seen those Members of Parliament and their way of life. I do not stand here to claim our being equal to their way of life and their comfort. AH the same it is a thing to be taken note of; otherwise it will be really difficult if one does not make a mention of it, of what he finds elsewhere and their comfort.

Now, these facilities that are to be given are in relation to house, water, etc. We have already got some. One clarification which I want to seek is in relation to a Member of the R'ajya Sabha. He is also an MP. Allowances, etc., are equal for Member of both the * Houses. But what are you going to do with regard to the constituency facili-

ties that you want to extend? Is be not to be paid as much as a Member of the Lok Sabha. He has not got a constituency as a Member of the other House has. It may not be a constituency. I have got my own doubts. My friend is interested in explaining to me about it. 1 am not very much satisfied with the answer he gives. I want an answer from the Minister. There are practical difficulties. And the details will have to be worked out In consultation with all sections of the House.

The other thing is, I am interested In uniformity so far as the Members of this House and the Members of the other House are concerned. You have given us one facility the facility of a certain number of telephone calls, a free telephone here and a free telephone in our State. That is their available for both the Houses. But in relation to the other facilities there should be uniformity, it cannot be one thing for the Members of the Lok Sabha and something else for the Members of the Rajya Sabha. The other thing is, there should be some number fixed for each thing, some amount fixed or some quantity fixed, whatever it is. That should be applicable to both Houses, to a Member of this House and a Member of the other House.

The other thing I want to point out is this. Very often we hear of ministries being toppled down and there was so much of crossing of the floor. There was a cry against that for quite a long time past. But that is not so in the recent past. What was the reason? "Why was it so? It was because of the anxiety to become a minister or a deputy minister which did not materialise. That was the cause for wishing to become the leader of a dissident group. That anxiety was there because that office carried a higher emolument, that office carried power, by virtue of it one can make money for himself and also give some benefits to others. So, please try to scale down the disparity. When a member assumes office as deputy minister or Minister of State or cabinet minister, immediately he behaves differently. You should scale down the disparity. Then only can you wipe out the distinction. And you can also prevent corruption that is so much talked about when they get that particular office.

Sir, I do not want to mention all those points which Mrs. Joshi, or the Member who initiated the debate, made. But one thing I want to say. This country has not got railway line laid everywhere. Every time the Railway Budget is brought before the House we plead for railway lines being extended to those areas where there are very big numbers of backward people living. Is it not for Members of Parliament to know how they are living and what they are getting? You have allowed us to travel from one part of the country to the other by railway. But what do we do where there are. no railways? We have to travel by bus. Where do we get the money from to pay for the bus? You should give us bus warrants for such areas. Some States have done that. They give either railway warrant or bus warrant according to requirement so that their Members of Legislature can work effectively. Why should it not be given to Members of Parliament? Until you are able to give ul railway throughout the country, to every part of the country, it is meaningless to give us railway pass for particular areas and not allow us to go to other areas. Therefore, I request that as long as this imbalance is there in the country, as long as railways are not laid in all parts of the country, bus warrants should be given to Members of Parliament to go anywhere in his constituency.

The last point that I want to make about this Bill is about the disparity in the daily allowance given to a Member of Parliament and a Member of a State Legislature sitting on the same Committee of a State. If they feel that as a Member of a superior House our presence on a State Committee is of some value, then they should not Pay me less than their own Member. Having taken a Member of Parliament on a Committee tt is disrespectful to discriminate as compared

[Shri Lakshmana Mahapatro]

to their own Member. If you like I can give the name$_s$ of some States. Sir I feel a general circular should go to the States to this effect. I do not grudge what he is paid as a member of his Legislature but I should not be paid less when we both are sitting on the same Committee.

Finally, Sir, we are going through a particular session where we have been hastening through a number of important legislation. This legislation is one such legislation. Somehow I have a very lurking doubt about a very bad criticism that may be levelled against us. No doubt the recommendations are from the Joint Committee. But why should it come at a time when heavy dues are pending before the Central Government employees by way of D.A.? Now in view of the Prime Minister's 21 point programme you propose to do good service to the backward and tribal people by way of higher wages. Sir, even now I know of States which are giving only Rs. 2 per day to their worker. Now some States, in view of thi$_s$ 21 point emergency programme, have announced increased in the wages to Rs. 3 per day. But what does ^{tni}s increase mean? It means nothing. Can his one day wage fetch him even a K.G. of rice which is selling at Rs. 2 to Rs. 3? With this Rs 3 can he feed himself and his family members? Therefore, if his discomfiture is to be removed then a worker in th$_e$ field should get nothing less than Rs. 7 as his daily wage. The Government should make a law saying that he would not be paid less than Rs. 7 per day, or less than 2i KG. No doubt prices are falling. But I am afraid prices of rice and wheat which are staple food in every part of the country are constant. I plead for at least 2 Kg. of rice and one rupee more, or J Kg. of vegetables, for an agricultural worker. Therefore, wherever minimum wages have been fixed, let it be told to the States that it should not be lesn than Rs. 7 because it is very low now. With these words, I conclude

श्री चक्रपाणि शुक्ल (मध्य प्रदेश) : सभापति जी एक कहावत है । देर आयद दुरूस्त आयद । लेकिन मैं देखता हूं एक तो देर से भी आया और दुरस्त भी नही आया और अनिश्चितता के साथ आया । बिल में देखने को तो यह कहा गया है कि डाक, जल, बिजली, निर्वाचन-क्षेत्र तथा सचिवालय संबंधी सुविधाएं अब इसमें जैसा माननीय सदस्यों ने बतलाया कि डाक खर्च कितना होगा सचिवालय खर्च कितना होगा स्टेनों रखे तो कितना पैसा लगाएं पार्ट-टाइम रखे तो कितना ? और यह भी नहीं बताया जा सकता कि इसमें कितनी राशि उपलब्ध होगी लोगों को और अभी तक किसी न किसी सूरत में कैसे गुजारा चलाते रहे हैं ? मेरा यह भी कहना है कि नियम बनाने के लिए अधिकार तो हम देंगे लेकिन आप पैसा हमको कब देंगे यह भी नहीं बतलाया गया । दूसरे क्षेत्रों में जब कोई समझौता हो जाता है तो किन्हीं को 1973 से मिलता है किन्ही को 1972 से मिलता है किन्हीं को 1974 से मिलता है । लेकिन हमको यह भी नहीं मालूम हो सका है कि 1974 से मिलेगा या 1975 से मिलेगा याकि 1976 से मिलगा मैं आशा करता हूं कम से कम ओम् मेहता जी इस बारे में थोड़ा सा संकेत अपने उत्तर में कर देंगे जिससे निश्चितता हो जाए।

कुरील साहब और दूसरे सदस्यों ने बताया कि वास्तव में जो यहां आकर पार्लियामेंट मेम्बर की हैसियत से रहते हैं अगर केवल एक पार्लियामेंन्ट मेम्बर की तरह से वह काय चलाना चाहे तो उसका जीना दूभर है । हम लोगों को कितने रोज जब कमेटियां व अन्य बैठकें होती हैं टैक्सी का पैसा आने जाने में देना पड़ता है बस से भले ही सब के समय 4 आने में एक बार आना जाना हो जाए लेकिन टैक्सी से कम से कम 15–20 रु० रोज किराए का लगता है । मैं कह नहीं सकता और स्टेटों में यह है या नहीं लेकिन मध्य प्रदेश में भोपाल में विधान

सभा की गाड़ियां हैं और वहां के विधायकों को 50 पैसा प्रति किलोमीटर के हिसाब से उपयोग में लाने पर देना पड़ता है । हम लोगों के लिये यहां टैक्सी अपने खर्च से करनी पड़ती है । आप जानते हैं, टैक्सी का किराया कितना बढ़ गया है कम से कम बीस-पच्चीस तीस रुपए टैक्सी के लग जाते हैं । उसके ऊपर बाल बच्चों का उदर पोषण चाहिए और कुछ थोड़ा सा अच्छा रख-रखाव भी करना पड़ता है जैसा कुरील साहब ने कहा कांस्टीट्यूएंसी से भी लोग जाते आते रहते हैं । खैर, यह तो नहीं कहते कि हमें मुफ्त टिकट दे दीजिए लेकिन इतना जरूर कहते हैं कि टिकट कटाने की सुविधा आप पार्लियामेंन्ट के मेम्बरों को है इसलिए आप मेहरबानी करके हमारे लिए टिकट बनवा कर दे दीजिए । अब एक तो उनके लिए टिकट बनवाने जाइए, टिकट बना के दीजिए, लेकिन कभी कभी पैसा मांगने से रहे यह सही बात है। अब अगर कोई भला आदमी हो तो झट पैसा दे देता है । वह समझते हैं हमने तो वोट दे दिला कर अहसान किया है इसलिए आपने टिकट कटा कर क्या अहसान किया ।

अब ट्रंक काल की बात लीजिए । मैं समझता हूं, ऐसा कोई सदस्य नहीं होगा जिसके महीने में 70–80 रु० से कम ट्रंक काल आते होंगे और जो अधिक होता है वह 'आटोमेटिक' सिस्टम से है । हमारा सौभाग्य है, मध्य प्रदेश में आटोमेटिक नहीं है लेकिन हमने देखा है, हमारे एक पड़ोसी हैं, जो रहते हैं जयपुर में—उनके पास कुछ काम भी ज्यादा है हम लोगों से—तो हमने देखा है कि हमारे यहां एक सदस्य का ट्रंक काल बिल आया 2000-2500 का । ओम मेहता साहब कहते थे कि 10 महीने का बिल आया है, वह खुद ही कह रहे थे कि इसको चेक-अप कराना होगा तो ऐसी स्थितियां है इसमें निश्चयपूर्वक ऐसा होना चाहिए, चाहे हमारी प्रतिष्ठा के अनुकूल हो या नहीं हो, कि आप कांस्टीट्यूएंसी में सभी को मिला कर 300, 400 और 500 अधिक जोड़ दें और उसमें हम मैनेज करें । हम आज तक जानते थे कि देश की परिस्थिति खराब है, लोगों को—जैसा आपने बताया—जीविकोपार्जन करने में दिक्कत होती है, गरीब काश्तकारों को कठिनाई होती है । लेकिन सब की कठिनाइयों को दूर करने के साथ साथ अगर हम अपनी कठिनाई दूर नहीं कर पाएंगे तो दूसरों की कठिनाई हल करना क्या कठिन नहीं होगा ? मेरा आप से एक सुझाव और है और वह यह है कि जब पार्लियामेंट का सैशन होता है तो हमें सैशन होने के पहिले और बाद में तीन दिन तक भत्ता मिलता है । लेकिन जब कोई ज्वाइन्ट कमेटी होती है तो उसके लिए हमें दो दिन पहिले और दो दिन बाद का भत्ता मिलता है । अगर ज्वाइन्ट कमेटी के दो दिन पहिले कोई मेम्बर आ जाता है और एक दिन के बाद फिर अपनी कांस्टीट्यूएन्सी में चला जाता है या किसी कार्यवश कहीं और जाता है तो उसको उस दिन का भत्ता नहीं मिलता है । मेरा आप से यह सुझाव है कि इस में जो 'दिल्ली' का शब्द लिखा गया है, उसको हटा दिया जाय, तो इसका परिणाम यह होगा कि उसको बैठक अथवा कमेटी में आने के लिए तीन अथवा दो दिन पहिले और तीन या दो दिन बाद तक का जो भत्ता मिलना था वह उसको लगातार मिलता रहेगा और बीच में कहीं जाने पर वह नहीं काटा जायेगा ।

स्पाउज के बारे में मेरा नम्रतापूर्वक यह निवेदन है कि इस बात पर अवश्य विचार किया जाना चाहिये । खासकर ऐसे जमाने में जब कि सारे संसार में महिला वर्ष चल रहा है । आप यह देखेंगे कि हम लोगों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है । कुरील साहब ने तो इस कठिनाई के बारे में बतला दिया है । लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर हमें सैशन के बीच किसी कार्य के लिए अपनी कांस्टीट्यूएन्सी में जाना

[श्री चक्रपाणि शुक्ल]

हो तो हम अपनी धर्मपत्नी को नही ले जा सकते हैं और अगर ले जाते हैं तो उसको थर्ड क्लास में ले जाना पड़ता है या फिर ला नहीं सकेंगे । आज के जमाने में अकेले गाड़ी में चलना भी कठिन हो गया है । हम लोग देहातों में रहते हैं और हम लोगों के लिये तो और भी मुश्किल हो जाती है । मान लीजिये हम अपनी धर्मपत्नी को यहां पर छोड़ जाते हैं और अगर वह बीमार हो जाती है या कोई और बात हो जाती है तो वह गांव को टेलीफोन भी नहीं कर सकती हैं । अकेले रहने की वजह से वे डाक्टर को भी नहीं बुला सकती है । इसलिए मेरी आप से यह निवेदन है कि इसमें स्पाउज को भी जोड़ दिया जाय ।

श्री एन० पी० चौधरी (मध्य प्रदेश) : मैं यह देख रहा हूं कि बहुत से संसद् सदस्य स्पाउज के लिए रेलवे पास दिये जाने पर बहुत जोर दे रहे हैं । तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह का पास चाहे बुजुर्ग संसद् सदस्यों को मिले या न मिले, लेकिन जो नौजवान संसद् सदस्य हैं, उनको अवश्य दिया जाना चाहिये ।

श्री चक्रपाणि शुक्ल : मेरा यह कहना है कि आप स्पाउज को भी आने जाने के लिए फर्स्ट क्लास का रेलवे पास दें । अगर कोई अपनी पत्नी को अपने साथ नहीं ले आना चाहता है, अथवा किसी की पत्नी नहीं है और वह सदस्य बीमार है या बूढ़ा है, तो उसको अपने देखभाल के लिए लड़का, लड़की व अपनी बहिन या किसी दूसरे रिश्तेदार को लाने की इजाजत दी जानी चाहिये ।

इन शब्दों के साथ मैं श्री ओम् मेहता जी से चाहूंगा कि वे हमारी बातों पर अवश्य निश्चयात्मक रूप से विचार करेंगे और ये सुविधायें कम से कम जनवरी 1975 से अवश्य दी जायं ।

श्री एन० पी० चौधरी : सभापति जी यह बात सही है कि मेम्बर आफ पार्लियामेंट को जो भत्ता या दूसरा पैसा है, यह इतना कम है कि वे बड़ी मुश्किल से अपना निर्वाह कर सकते हैं । मैं विशेषकर उन सदस्यों के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं जो कि केवल इस पर अपना जीवन निर्वाह करते हैं और मैं आप के सामने उन लोगों की ही बात रखना चाहता हूं ।

जो मेम्बर खेती करते हैं या कोई व्यापार करते है, आप देखेंगे कि वे लोग साल में कम से कम आठ, नौ महीने यहां पर पार्लियामेंट का काम करते हैं । इस ड्यूटी को करने के लिए उनका जो व्यवसाय होता है, जो कार्य है वह सब छूट जाता है । इस तरह से उन्हें आर्थिक हानि होती है और उन्हें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है । आज की स्थिति को देखते हुए, महंगाई को देखते हुए और विशेषकर उस स्थिति में जब हम दूसरों का भत्ता और पगार बढ़ा रहे हैं, तो कोई कारण नहीं दिखलाई देता है कि संसद् सदस्यों का भत्ता और पगार न बढ़ाई जाय । इस बात का

12 NOON मैं पूरा समर्थन करता हूं । एक विशेष बात जो मैं इस अवसर पर कहना चाहता हूं वह टेलीफोन के सम्बन्ध में हैं । ट्रंक काल की बात तो ऐसी है कि संसद् सदस्य के घर का अगर उसकी कांस्टीटुएन्सी के निवास का टेलीफोन काट दिया जाय तो उसका जीवन ही बेकार हो जायेगा । टेलीफोन उनकी एक्टिविटीज के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया है । टेलीफोन के बिना वे रह नहीं सकते । वर्तमान समय में विदेशों में तो उसका बहुत महत्व है ही, हमारे यहां भी उसका बहुत महत्व है । इसकी और अधिक सुविधा देनी चाहिए ।

आप जानते है कि किन्हीं लोगों की कांस्टीटुएन्सी हजार-हजार मील दूर रहती है । उन्हें वहां से सम्पर्क करने के लिए एक ट्रंक काल भी करना पड़ता है तो सैकड़ों रुपए की चपत लग जाती है । कई बार महत्व-पूर्ण काम होने के बावजुद ट्रंक काल के जरिए सम्पर्क नहीं कर सकते और सम्पर्क न होने की वजह से जितनी आवश्यक कार्यवाही उन्हें करनी होती है वह नहीं कर पाते । इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहूंगा कि एम पीज को ट्रंक काल में प्रोयोरिटी भी मिलनी चाहिए । कभी कभी मैंने देखा है—अपना अनुभव बताता हूं—यहां से जबलपुर या सागर ट्रंक क ल करने की जरूरत पड़ी लेकिन तीन तीन दिन तक ट्रंक काल नहीं मिले । अगर संसद सदस्य को दो या तीन दिन तक ट्रंक काल नहीं मिलेगा तो उसकी क्या स्थिति होगी । जो परेशानी होगी वह तो होगी ही, साथ ही संसद की कार्यवाही में वह भाग नहीं ले सकेगा, दफ्तरों में नहीं जा सकेगा । मेरा निवेदन है कि संसद के सदस्यों को ट्रंक काल में प्रोयोरिटी मिले ।

स्याउज वाली बात मैंने सुनी । यह भी आवश्यक है कि संसद सदस्य के साथ यात्रा करने के लिए उसके परिवार के किसी सदस्य या मित्र के लिए भी जरूर फर्स्ट क्लास का पास मिलना चाहिए । हमारे बुजुर्ग साथी हैं, कभी कभी उन्हें परेशानी हो जाती है । जब उनके पास कोई सहारा देने वाला न हो, सहयोगी न हो, असिस्टेंट न हो तब तक उनको यात्रा करने में बहुत ही परेशानी होत है । मैंने स्वतः अपने साथियों को देखा है कि उनको कितनी परेशानी होती है रेल में । रेलवे में उन लोगों के लिए मैं खुद कई बार दौड़कर चाय लाया हूं, खाना लाया हूं, यहां तक कि ट्रेनों में उन्हें चढ़ाने उतारने का काम भी मैंने किया है । इन सब चीजों को देखते हुए यह आवश्यक है कि हमारे माननीय सदस्यों को फर्स्ट क्लास का एक पास और मिले ।

श्री महावीर प्रसाद शुक्ल : मैं आपको ले चलूंगा ।

श्री एन० पी० चौधरी : मुझे खुशी होगी, मैं अपना सौभाग्य समझूंगा कि आपके किसी काम आ सकूं । जब माननीय सदस्य यात्रा करते हैं तो उनके साथ फर्स्ट क्लास में चाहे उनका सहयोगी हो, मित्र हो, रिश्तेदार हो या कोई और भी हो, मुझे आपत्ति नहीं है, उसके लिए भी पास मिलना चाहिए ।

लोकल काल्स अभी जो एलाउड हैं वे बहुत कम हैं । सुबह से शाम तक के काल्स की बात देखें, टैक्सी स्टैंड, अस्पताल, दफ्तरों, इनक्वायरी आफिस को किए जाने वाले फोन्स का योग करें तो कम से कम 25 काल हो जाते हैं । दफ्तरों के काल छोड़ दीजिए जो मेम्बरों को दूसरे कामों से करने होते हैं । मेहमान आ जाते हैं तो उनकी तो बात ही क्या है । जब वे फोन के सामने बैठ जाते हैं तो मैंने देखा है कि एक-एक मेहमान एक बार 10 फोन करता है । टैक्सी आदि के मंहगे साधन इस्तेमाल करने के बजाय वह टेलीफोन का उपयोग करता है । एवरेज में 50–50 काल हो जाते हैं रोज । इसलिए लोकल काल्स की संख्या बढ़ायी जानी चाहिए ।

पेंशन की बात है । पेंशन की बात बहुत आवश्यक है । उन सदस्यों को देखिए जिन्होंने अपना सारा जीवन इसमें खपा दिया और आज किन्हीं कारणों से, वृद्धावस्था से, राजनीतिक कारणों से दुबारा यहां पर नहीं आ पाए । मेरी एक माननीय सदस्य से भेंट हुई । उन्होंने त्रिगुण सेन साहब के बारे में बताया । त्रिगुण सेन साहब को कौन नहीं जानता । वे हमारे बहुत योग्य शिक्षा मंत्री रहे हैं । दो यूनीवर्सिटियों में वाइस चांसलर रहे हैं । वे संसद में आए, मंत्री बने,

[श्री एन० पी० चौधरी]

उसके बाद उनकी सदस्यता समाप्त हुई। आज उनकी क्या स्थिति है । वे दूसरों का सहारा लेकर रह रहे हैं । उनकी हालत देखी नहीं जाती ।

तो यह बहुत आवश्यक है । मैं अपनी स्वयं की बात कहूं । मैं एक व्यापारिक घराने से आता हूं । जब तक मैं राजनीति में नहीं आया था तो बहुत जोरों से बिजनेस में था और काफी पैसा कमाता रहा और अपने परिवार की मदद करता रहा । किन्तु जब से मुझे राजनीति का चस्का लगा, और राजनीति में मेरी रुचि जगी तो उस के बाद मैं ने तो घर फूंक तमाशा देखा और आज स्थिति यह है कि कमाने की जगह मैं बर्बादी की स्थिति में पहुंच गया हूं और मैं परिवार में एक लायबिलिटी सा हूं, एक बर्डेन के समान हो गया हूं और मुझे आप को यह बताने में कोई हिचक नहीं है कि मेरे 5 बच्चे कालेजों में पढ़ रहे हैं और कुछ शादी योग्य हो गये हैं । मुझे चिन्ता है कि उन का निर्वाह कौन करेगा । इन सब बातों को देखते हुए मेम्बरों की जो वर्तमान स्थिति है और

SHKIMATI MARGARET ALVA (Karnataka): Mr. Chairman, Sir it may seem strange that during an emergency like this we, the representatives

महोदय से निवेदन करता हूं कि यहां कई माननीय सदस्यों ने अपने दिल की बातें, अपने अनुभव की बातें कही हैं, जिन बातों को उन्होंने अपने जीवन में अनुभव किया है उन को कहा है, उन को वह अपने ध्यान में रखेंगे और हम लोगों को कुछ राहत देने की बात करेंगे । धन्यवाद ।

of the people themselves, should increase allowances for ourselves. But, at the same time, I think It is necessary for us also to see the position of politicians in the country today. We are perhaps amongst the most poorly paid in the world as the Committee itself has shown. But more than that it has been admitted by the Government that the value of the rupee has fallen to 27 +paise since 1954 when this Act was passed. And if that is so, then what we really get by way of our allowances is only Ks. 1.25 today. According to the calculation of the Government, which has admitted that the value of the rupee has gone down to that level, it has come down to Rs 13. I realise that we are a country which is facing many financial crisis and that we have also got to speak about the common man. But at the same time, being an MP today means full-time job, and for them to work efficiently it becomes necessary that certain basic benefits, certain basic requirements, to be assured to them. After all, for those who want to really do the job well, it is a full-time job. It means that many have got to come to the two Houses of Parliament after giving up their professions, giving up their other careers and giving up their other sources of income. Perhaps for the women the problem is not so great. But for the men who really have to support the family, who have got really huge families, it is definitely a big task, because two establishments have to be maintained. They have to have a place in the constituency and a home in Delhi. They have to look after two homes at the same time with an income which perhaps they were capable of getting when they started their career 20 years ago. I, therefore, stand to support this Bill, in spite of the hesitation which, I feel, has been introduced at this time, in the sense that it could have been done perhaps much more earlier when the Committee report was with us.

I would now like to place before the House a few facts. Take, for instance, the election expenses, particularly the heavy burden by way of election ex-

penses on Members of the Lok Sabha. Then, after they come in, as I said, they have to lose their regular professions. Then you find the problem of touring of the constituency, with the rise in petrol prices and all the problems that go with it. It is a very expensive affair. And, then, we have seen that even a? far as telephone expenses, petrol expenses, and secretarial expenses are concerned, it is not possible for us to work efficiently with what is paid today by way of allowances to MPs.

Then I want to point out another problem which we face if we are married to Government servants or to those who are connected with public sector. The moment we come here and get certain benefits, we have to lose the benefits. I am speaking from my experience. The house rent allowance that was paid to my husband is not paid today. I am in Parliament. I was told that Government servants are not supposed to live in MPs' flats. If such rules exist, how would you expect us to carry on with these two independent professions? Now, many of these benefits are taken away from our spouses because they are given to us.

As far as medical benefits are concerned, as far as housing and other benefits are concerned, all these are denied to the spouses, because the MPs get the benefits. When we are talking of even clubbing the incomes of husband and wife, 1 do not see why it should be held that when the wife has certain benefits the husband should lose the benefits which are given to him.

Then, when we are in Delhi, there is the problem of looking after people who come from our constituencies who have got to be put up and who have got to be looked after, which is not possible to do with the present cost of liviug, unless certain benefits are given.

Many suggestions have been made. Take, for instance, the medical benefits. Today we are given the facility of Willingdon Hospital, and not the benefits of the facilities in the All-India Institute of Medical Sciences. Perhaps I do not have the problems at this stage, but many MPs have them. This is necessary, I feel, beca use, after all, the All-India Institute of Medical Sciences is a much better place in certain respects. Why do we have to depend on a certificate from the Willingdon Hospital in order to be permitted to have the facility of the All-India Institute of Medical Sciences? This only delays the process and makes it more difficult for MPs to get medical facilities when they need them. I feel that this must be attended to in the interests of senior Members of Parliament.

Then there is the question of allowances paid after the session. I think that it tends to keep some Members in Delhi longer than what is necessary. For instance if one has to go to the South it means two Or three days' journey by train. It means, six days. Besides, it keeps the MPs away from the constituency for a longer period. So I feel that this should be given to Members, without insisting that they should be present iu Delhi.

And then there is the question of the spouse's pass. This is more necessary in the case of older Members than that of younger Members... (Interruptions). Older Members need their spouses much more to look after them. Therefore, I feel that it would be better to have it reserved only for the spouses. If the spouse, for some reason or the other, cannot travel, any other member of the family should be allowed to travel with the MP concerned. T don't see why such an opportunity should be denied to the daughter or the son of any relatives who can look after...

DR. V. P. DUTT (Nominated): Will the husband be allowed to travel as the servant along with the wife?...

(Interruptions)

SHRIMATI MARGARET ALVA: Would you like to cary your wife as your servant? . . .

(Interruptions).

DR. V. P. DUTT: Female servant is not allowed; male servant is allowed. . .

(Interruptions)

SHRIMATI MARGARET ALVA: Then there is the question of retired MPs. I do not have really to speak about pension, and so on. We do have cases where Members have had two and three terms in Parliament, who have given up their professions and careers and so on, and retired at 60 or 65 or 75 years of age, and found suddenly that they had absolutely no means of maintaining themselves. And this, of course, I do not want to say where you have got other ways by which you can maintain yourself, which may be in a very few cases, normally, the person is left quite unattended to. Therefore, Members who have put in more than two terms and passed the age of 60 should be given some security. I don't say that it should be a general rule. But in some cases where there are no other means of income, I think, some security like free medical facilities should be given. Some such type of security could be thought of in the interest of giving the MPs a sense of security when they retire after so many years in the Parliament. If these benefits are given, I feel that there would not be so much of a scramble for working on the Committees in the off-session, and Member will be willing to spend more time in their constituencies. As they would be a little more comfortable, they would be able to work more in their constituencies. Today, because of the circumstances, MPs are compelled to spend a good bit of their time in the off-session touring round the country with the Committees and earning something rather than doing work in their constituencies and looking after their consituents. Here I want to make one suggestion. Even if there are certain rules that it should be non-taxable income, I don't think that everything that we get should be non-taxable because, if all others are paying taxes on the benefits which are given to them whether in the private sector or the public sector, I do not see why the allowances of MPs should be non-taxable at all stages. Well, Sir, I do not want to say more because there is no point in repeating all that has been said before. But. I do not feel that these new alowances will definitely go a long way in making the working of our MPs more efficient, making their working more satisfying in their constituencies, and will definitely help them to do more service. And in that sense, I do feel that it is only going to help the process of more efficient working which has come into being in various departments of the country after the emergency.

In conclusion, Sir, I would say just this that this House has always been having debates where we have been championing the causes of others where we have been fighting for increases in this and increases in that, for labour and for various others. I think, since 1956, this is the first time that the MPs have had the courage to come forward and say that we also need something if we are to live in dignity and if we are really to be efficient servants of the people.

Thank you, Sir.

डा० चन्द्रमणि लाल चौधरी (बिहार): जनाबे सदर, मैं आपकी तवज्जह इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि मैं पिछली दफा भी पंडित जी के जमाने में लोकसभा का मैम्बर रह चुका हूं इसलिये निजी तौर पर हमने जो फील किया है उसी को मैं हाउस के सामने रखना चाहता हूं शायद इससे बहुत से मैम्बर सहमत नहीं होंगे । हम मैम्बर भी हैं और एक्स

मैम्बर रह चुके हैं । पंडित जी के जन्नत होने के बाद और उनके शासन काल में भी हम मैम्बर रहे और बाद में एक्स मैम्बर भी हो गये । उस वक्त जो हमने महसूस किया उसका हम इजहार करना चाहते हैं । वह इजहार यह है कि जब हम मैम्बर हो थे पंडित जी के जमाने में तो हम हवाई जहाज से या फर्स्ट क्लास से ट्रेवल किया करते थे । बहुत फैसिलिटीज थी, जिसको ज्यादा से ज्यादा कहा जा सकता है ।

अंदाजा कीजिये, पार्लियामेंट का मैम्बर रहते मैं हवाई जहाज से सफर किया करता था, लेकिन एक्स मैम्बर होने पर मुझे थर्ड क्लास के डिब्बे में धक्के खाने पड़े यह नेशन के लिये दर्दनाक बात है । नेशन के, देश के माने हुये आदमी ही एम० पी० होते हैं । बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, जजबाती तकलीफ है कि अगर कोई मैम्बर ईमानदारी के साथ संसद की खिदमत करता है, पब्लिक की खिदमत करता है तो उसको मैम्बर से हटने के बाद धक्के खाने पड़ते हैं ।

मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी मुझे राज्य सभा में आए एक साल से ज्यादा नहीं हुआ होगा लेकिन हमारे पास हजारों रुपये का टेलिफोन का बिल आ चुका है । दो दफा को मैं पेमेन्ट कर चुका हूं लेकिन अब फिर 600 रुपये से ऊपर का टेलीफोन बिल आया हुआ है । मुझे पता नहीं वहां पर जनसंघ के लोग बैठे हैं या कौन लोग बैठे हैं । लगता है कि हमारे आपरेटर किसी कैपेटेलिस्ट से मिल कर उसकी दूसरी जगह से बात करवा देते हैं और हमारे ऊपर उसका बिल डाल देते हैं ।

मैं खासतौर से सरकार का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि जब हम लोग पंडित जी के जमाने में लोक सभा के मैम्बर थे तो हमें 21/- रु० डी० ए० मिलता था और तब हम इस 21/- रु० में कुछ बचा लेते थे । अब हमको 51/-रु० मिलते हैं, लेकिन बदकिस्मती यह है कि इसमें से हमारे पास कोई पैसा नहीं बचता है । आज तो हालत यह हो गई है कि इस वेतन में हम अपने बाल-बच्चों का अच्छी तरह से पालन-पोषण भी नहीं कर पाते हैं । यही नहीं हम अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में तालीम भी नहीं दे पाते हैं । हमारे देश में कैपिटेलिस्टों के बच्चे तो अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, लेकिन जो पार्लियामेंन्ट के मैम्बर हैं वे अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ा भी नहीं सकते हैं । इसलिए मैं मोअतरिम मिनिस्टर साहब से दरख्वास्त करूंगा कि अगर हम देश का केरेक्टर ऊंचा करना चाहते हैं और किसी से कोई गलत काम नहीं करवाना चाहते हैं तो हमें इन सब बातों पर गौर करना होगा और अगर किसी मुल्क के विधायकों का केरेक्टर ऊंचा होता है तो उस मुल्क का नेशनल केरेक्टर भी ऊंचा होता है । इसलिए आज जरूरत इस बात की है कि हमारे देश के जो संसद सदस्य और विधायक हैं उनको पूरी पूरी सुविधाएं प्रदान की जायें । आप जो मैम्बरों की सेलरी और एलाउन्सेज के बारे में काम कर रहे हैं, यह आपकी मेहरबानी है और हमारी प्राइम मिनिस्टर साहिबा की मेहरबानी है कि उन्होंने हम मैम्बरों की तकलीफों और जजबातों को समझा है । वे अपनी जिम्मेदारियों को जानती हैं और हमारी जिम्मेदारियों को भी जानती हैं । जिस तरह से हमारे देश की प्रधान मंत्री ने देश के जजबात को समझा है उसी तरह

[डा० चन्द्रमणि लाल चौधरी]

से उन्होंने हमारी भावनाओं को भी समझा है । सारा मुल्क उनका मशकूर है और पार्लियामेन्ट के मैम्बर भी बहुत मशकूर हैं।

मैं हाउस की तवज्जह इस बात की तरफ दिलाना चाहता हूं कि हम लोग राज्य सभा में 35 वर्ष की उम्र के बाद मैम्बर बनते हैं और इसी तरह से लोक सभा के मेम्बर भी एक खास उम्र के बाद बनते हैं । अगर कोई मैम्बर तीन टर्म्स ले लेता हैं तो 15 से भी अधिक वर्ष उसके यहां पर बीत जाते हैं और उस वक्त तक वह 55-56 वर्ष का हो जाता है । लेकिन उसको इसके बाद कोई पेंशन वगैरह नहीं मिलती है । इसके विपरीत अगर कोई पीओन भी भर्ती होता है तो उसको पेंशन मिलती है । . . . (*Interruptions*) श्रीमन्, पब्लिक सर्विस कमीशन का मैम्बर बनना तो दूर, मैं तो पीओन भी भर्ती होने लायक भी नहीं हूं। ऐसी हालत में आप हमारी जिन्दगी का अन्दाजा कीजिये ।

श्री एन० पी० चौधरी : संसद् सदस्य होने के बाद पीओन की बात क्यों करते हो ?

डा० चन्द्रमणि लाल चौधरी : आप मेरी बात सुनिये, जब कोई एक्स-एम० पी० हो जाता है तो उसके पास कुछ भी नहीं रहता है । यह बहुत गम्भीर विषय है जिस पर हमें गम्भीरता पूर्वक विचार करना चाहिए । हमारी हालत यह है कि 55 वर्ष के बाद अगर हम कोई किताब भी लिखना चाहते हैं और उसको छपवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारे पास पैसा नहीं होता है । इसलिए हमें मजबूर होकर किसी कैपिटेलिस्ट का सहारा लेना पड़ता है । इसलिए मैं यह दर्खास्त करूंगा कि कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर आप कुछ न देते हों । चपरासी से लेकर राष्ट्रपति तक, कहीं भी देखिए, सब को पेंशन मिलती है और रिटायर होने के बाद उनको कोई दिक्कत नहीं है । लेकिन हमारी ही छोटी सी एक जमात है लोक सभा और राज्य सभा के मैम्बरों की, मालूम नहीं हम लोगों को क्यों इस तरह से छोड़ा गया है । सब लोगों को पेंशन मिलती है, चाहे वह कस्टम डिपार्टमेंट के आदमी हों या एस० पी० और डी० एस० पी० हों या कलैक्टर हों । लेकिन हम लोग जो हमारे देश के लिए जवाबदेह हैं उनको रिटायरमेन्ट के बाद कुछ नहीं मिलता है । मेरे जैसे लोगों की हालत तो यह है कि हमारे पास मरने के बाद कफन के लिए भी पैसे नहीं हैं । ऐसी हालत में मैं समझता हूं कि जो ओनेस्ट मैम्बर होंगे वे इस बिल का समर्थन करेंगे और इसका विरोधी वही करेंगे जो ब्लैकमार्किटियर हैं या गलत ढंग से पैसा कमाते हैं और गलत तरीकों का इस्तेमाल करते हैं । चूंकि हमारे देश में फाइनेन्स की हालत बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए सरकार को चाहिए वह जो हम लोगों को सुविधाएं दे सकती है वह दे । इसलिए श्रीमन्, मैं यह अर्ज करूंगा कि जब आप सारे देश के लिए इतना काम कर रहे हैं और इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि सब लोगों की जिन्दगी अच्छी हो तो आप लोगों को हम मैम्बरों की तरफ भी तवज्जह देनी चाहिए ताकि हम अपना रोजमर्रा का जीवन ठीक प्रकार से चला सकें ।

एक बात मैं भूल गया हूं जो कि मुझे जरूर कहनी है । हमें यहां पर पेंशन में आने के लिए फर्स्ट क्लास का पास दिया जाता है और वाइफ के लिए भी हमें यह फर्स्ट क्लास का टिकट मिलता है। लेकिन जब और काम के लिए हमें यहां

पर आना पड़ता है तो हमें अपनी वाइफ को थर्ड क्लास में लाना पड़ता है । हमारी उम्र और दोस्तों की उम्र ऐसी नहीं है कि हम फर्स्ट क्लास में आयें और हमारी वाइफ थर्ड क्लास में आये । आपने सैशन में आने के लिए तो हमें फर्स्ट क्लास में वाइफ को लाने की इजाजत दे दी है लेकिन और वक्त हम ऐसा नहीं कर सकते हैं । इसलिए हम यह चाहते हैं कि जब आप सैशन के लिए दावत देते हैं और जब सैशन साइने डाई स्थगित हो जाती है, इसके बाद भी जब भी हम यहां दिल्ली में आयें या कहीं जायें, तो हमें अपनी वाइफ को लाने के लिए फर्स्ट क्लास में इजाजत मिलनी चाहिये ।

मैं आपको यह बतलाना चाहता हूं कि हिन्दू धर्म के मुताबिक और मुसलमान धर्म के मुताबिक, जब भी कोई बड़ा यज्ञ होता है तो हमें उसमें धर्मपत्नी हमारे साथ नहीं रहती है, तो वह यज्ञ नहीं किया जा सकता है । इसलिए हम बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ते हैं, अगर उस समय पत्नी हमारे साथ न हो , बदकिस्मती न करे कि ऐसी बात हो, तो हम उस लड़ाई को जीत नहीं सकेंगे । आज हालत यह है कि हम अपने नौकर पर विश्वास नहीं कर सकते हैं क्योंकि हो सकता है कि वह रात को खाने के वक्त हमें जहर दे दे, लेकिन जब हमारी पत्नी हमारे साथ होगी तो वह इस तरह का कार्य नहीं कर सकती है । इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस बात को आप गम्भीरता पूर्वक सोचें, मजाक की बात यह नहीं है और मैं यह पर्सनल अनुभव से यह बात कह रहा हूं । इसलिए थर्ड क्लास को हटाकर आप फर्स्ट क्लास कर दीजिये ताकि हम पत्नी के साथ आ जा सकें और कहीं भी किसी जगह जा सकें ।

जो एक्स मैम्बर आफ पार्लियामेन्ट हैं, उनको मेडिकल फैसिलिटीज दी जानी चाहिये और 500 रुपया माहवारी तनख्वाह दी जानी चाहिए । जो एक्स मैम्बर हैं उनको रेलवे का पास दिया जाना चाहिये ताकि वे पति-पत्नी साथ कहीं भी जा सकें । ओल्ड ऐज में अगर वह तीर्थ करना चाहें, बद्रीनाथ की यात्रा करना चाहें तो वे कर सकें । इस नाते मैं फिर आप से अपील करना चाहता हूं कि यह एक गम्भीर विषय है और इस पर आपको सहानुभूति के साथ विचार करना चाहिये ।

हमारे बच्चों की तरफ भी हमारे एजूकेशन मिनिस्टर साहब को देखना चाहिये । अगर कोई पार्लियामेन्ट का मैम्बर है और उसके बच्चे जाहिल हैं, तो क्या यह कोई ठीक बात होगी । यह मुल्क के लिए एक शर्मनाक बात होगी। आप मैम्बरों को जितना पैसा देते हैं उससे वे अपने बच्चों को अच्छी तरह से नहीं पढ़ा सकते हैं । आज एक दर्जे की किताब खरीदने में करीब 70-75 रुपया लग जाता है । अगर किसी बच्चे को दिल्ली में पढ़ाना हो तो उसमें 100 रुपया माहवार से कम खर्च नहीं आता है । यह तो चार और पांच दर्जे में पढ़ाने का खर्च है । अगर ज्यादा दर्जे में पढ़ाना पड़े तो और भी ज्यादा खर्च आता है । तो इन सारी दिक्कतों को देखते हुए मैम्बरों को अपना करेक्टर ऊंचा रखने के लिए जितनी फैसिलिटीज आप दे सकते हैं उतनी देनी चाहिये ।

एक किस्सा मैं आपको और भी सुना देता हूं । जब मैं लोक सभा का मैम्बर था तो मुझे 21 रुपया रोज मिलता था । उस समय काफी बाहर से लोग आये और मेरा काफी खर्चा हो गया । उस समय राजर्षि टंडन और जवाहरलाल

[डा० चन्द्रमणि लाल चाधरी]

जी के बीच चल रही थी। बिहार से एक डेलिगेशन और कुछ कार्यकर्ता आये और उनकी आवभगत के लिए मेरे पास जो भी पैसा था वह सब खर्चा हो गया था। मैं तीन मूर्ति भवन गया और कहा कि मेरे पास पैसा नहीं है। दूसरे ही दिन उन्होंने मुझे केरल कंसलटेटिव्ह कमेटी का मेम्बर बना दिया। मैं कई दफा आता जाता था तो मुझे मेरा खर्चा पूरा हो जाता था। उस समय इस तरह के लीडर थे जो अपने सिपाहियों की बातों को सुनते थे और उचित फैसला देते थे।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और सदन का ज्यादा वक्त न लेते हुए फिर यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो गरीब मैम्बर हैं, उनको पेंशन देने की व्यवस्था की जाय। जो मैम्बर इन्कम टैक्स दे सकते हैं, जिनके पास काफी रुपया है, मैं उनकी सिफारिश नहीं करता, लेकिन जो गरीब हैं, जो नेशन की खिदमत ईमानदारी के साथ करते हैं, उनके लिए पेंशन होना जरूरी है। उनको आप मेडिकल फैसिलिटीज और दूसरी चीजें दे सकते हैं, जिनसे उनका करेक्टर ऊंचा रहे।

श्री **सुलतान सिंह** (हरियाणा) : सभापति महोदय, यह जो संशोधन विधेयक ओम मेहता जी हाउस के सामने लाए हैं मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

सभापति महोदय, डेमोक्रेसी के तीन पिलर हैं—लेजिस्लेचर, जूडीशियरी, एक्जीक्यूटिव। आप ईमानदारी से सोचेंगे तो इसी नतीजे पर पहुंचेंगे कि डेमोक्रेसी का जो सबसे सुपीरियर पिलर था आज वह सबसे इनफीरियर बना हुआ है। एक एल आई सी के चपरासी को 700 रुपया तनख्वाह मिलती है। रिजर्व बैंक के बड़े से बड़े अफसर को 5 हजार रुपया तक तनख्वाह मिलती है। जजेज को 5 हजार रुपए तनख्वाह मिलती है। और जो सबसे महत्वपूर्ण पिलर है डेमोक्रेसी का पार्लियामेंट उसके मैम्बर को तनख्वाह मिलती है 500 रुपया।

अख्तियारात का जहां तक ताल्लुक है चपरासी तक भरती करने का अख्तियार नहीं, चपरासी तक हटाने का अख्तियार नहीं, कानून तो पास कर देंगे लेकिन इम्प्लीमेंट कराने का हमको अख्तियार नहीं। हम कानून पास करके एक्जीक्यूटीव के हवाले करते हैं। यह एक्जीक्यूटिव की मर्जी पर रहता है कि वह इम्प्लीमेंट करे या न करे।

हम पार्लियामेंट के मेम्बर हैं। हिन्दुस्तान के कांस्टीट्यूशन ने एक तलवार हम को भी दी है, एक तलवार जूडीशियरी को भी दी है। जूडीशियरी को तलवार यह दी कि वह हमारे खिलाफ भी फैसला कर सकती है, एक तलवार हमारे हाथ में यह दी कि हम जजेज को इम्पीच कर सकते हैं। लेकिन हम इतने शरीफ और अच्छे इंसान बन कर रहे कि सबसे कम तनख्वाह ली, सबसे कम अख्तियारात लिए और जजों ने रोज हमारे गले पर तलवार चलाई लेकिन हमने एक जज को इम्पीच नहीं किया। मैं गलत नहीं कहता, दावे के साथ कहता हूं, बड़े से बड़े अफसर की इनक्वायरी कर लें, तीन-चार हजार रुपए तनख्वाह लेते हैं, बसन्त बिहार के अन्दर कोठी का 10 हजार रुपया महीना किराया लेते हैं। बड़े से बड़े जज की इनक्वायरी कर लें, उनको घरों के अन्दर कस्टम की चोरी का

माल मिलेगा । उनके बेटे अमरीका और इंगलैंड जाते हैं हर साल और विदेशी सामान लाते हैं, कस्टम तक देते नहीं । एक पार्लियामेंट का मैम्बर, एक लेजिस्लेटर, एक मिनिस्टर जरासी गलती करता है तो देश में तूफान खड़ा हो जाता है, उसके खिलाफ कमीशन बैठना चाहिए और जज चाहे जितना बड़ा डाका मारे उसके खिलाफ कमीशन न बैठे, चाहे सी आई ए से रुपया लेकर वह बड़े से बड़े फैसले करे, उसके खिलाफ कमीशन न बैठे ? आई सी एस कितने बड़े बड़े जुल्म करे, उसके खिलाफ कमीशन न बैठे ? मैं दुखी हूं कि हमने अपने आपको इतना हीन क्यों बना लिया, हम इतने इनफीरियर क्यों बने । खाली इसलिए कि हिन्दुस्तान की 56 करोड़ जनता कहे कि हमारे देश के राजनीतिज्ञ बड़े त्यागी और तपस्वी हैं । हमने अपनी तनख्वाह खुद घटाई । मुझे याद है जब रुपए में एक सेर घी आता था उस वक्त सर हयात खां 5 हजार रुपया तनख्वाह लेते थे, हमारे सूबे के प्रीमियर थे, मिनिस्टर 3700 रुपया तनख्वाह लेते थे । 47 के बाद जब से मंहगाई बढ़नी शुरू हुई, हमने चीप पापुलेरिटी के लिए, सस्ती सोहरत के लिए यह मंजूर किया कि 500 रुपया पर काम करेंगे । थोड़ी देर के लिए लोगों ने ताली बजा दी । यह सस्ती सोहरत हासिल करने के लिए हमने अपने आपको इतना चीप कर लिया कि एक पार्लियामेंट का मैम्बर जिसके घर दस महमान आये उसका क्वार्टर छोटा सा दो बैडरूम का ।

एक पार्लियामेंट का मैम्बर जो दस टन काम रोज करे और 20 टेलीफोन दिल्ली में रोज करे उस के टेलीफोन का एकाउन्ट रखा जाय । मैं गलती नहीं करता हूं तो दावे के साथ कह सकता हूं कि इस हाउस में मुझे पार्लियामेंट का मैम्बर बने 5 साल हो गये । यहां पर हमारे आफिशियल बैठे हैं वे लोग रिकार्ड चैक कर सकते हैं, मैं ने आज तक 500 रुपये पर दस्तखत नहीं किये हैं ।

श्री महावीर प्रसाद शुक्ल : किसी ने नहीं किये हैं ।

श्री सुलतान सिंह : सारा रुपया मकान के किराये में और टेलीफोन के बिल्स के भुगतान में ही कट जाता है और बैलेंस निल रहता है और ईमानदारी की बात यह है कि हमारा बेटा, हमारा बाप या हमारा भाई जो खेती करता है, जो धूप में जलते हैं वह हम को पैसा इस फख्र में भेज देते हैं कि हमारा भाई तो पार्लियामेंट का मैम्बर है । महज इस बात के लिये काम चल रहा है वरना पार्लियामेंट का मैम्बर रहते रहते ही हमारी तो सारी जमीन बिक जाती । अजीब हालत है । मैं पार्लियामेंटरी अफेयर्स के मिनिस्टर से पूरी नाराजगी के साथ कहता हूं, पूरे गुस्से के साथ कहता हूं कि जो सुपीरियर पावर है डेमोक्रेसी की उस का आपने इतना इन्फीरियर क्यों बना रखा है । जो हिन्दुस्तान की सुप्रीम बाडी है उस के मैम्बर्स को आप ने इतना घटिया क्यों बना रखा है कि वह एल आई सी के चपरासी के बराबर भी नहीं है । मुझे दुख होता है । अभी कल ही बात हो रही थी जब अमेंडमेंट आया था पीपल्स रिप्रेजेंटेशन ऐक्ट का । कितने दुख की बात है कि हिन्दुस्तान का हाइयेस्ट आफिस प्राइम मिनिस्टर या राष्ट्रपति वह सुप्रीम कोर्ट में मुलजिम बन कर जाता है । वह जूडिशियरी दया नहीं करती उस पर । वह रहम नहीं करती कि कम से कम इतने बड़े आफिस का सम्मान तो करे । बेसिक पावर है । कानून में दे रखी है । लेकिन हम ने अपने फर्ज को कभी भुलाया नहीं । एक जज ने अपने फर्ज को नहीं समझा कि 55 करोड़ लोगों के

[श्री सुलतान सिंह]

दिलों की आवाज, उस को मुलजिम बना कर दो दिन तक कचहरी में खड़े रहना पड़ा और उस के बाद वह उस जगह महफूज नहीं थी । लोग पिस्तौल लिये खड़े थे उस को कत्ल करने के लिये । उन्होंने कभी रहम नहीं किया और हम इतने इन्फीरियर हो गये कि तनख्वाह के मामले में अगर कभी बात आयी तो हम त्यागी बन गये । जजों के इंपीचमेंट का मामला आया तो हम त्यागी बन गये । अफसरों को सस्पेंड करने का मामला आया तो हम त्यागी बन गये, सर्विसेज के बारे में बात आयी तो हम त्यागी बन गये । तो यह देश चलेगा कैसे ? यह डेमोक्रेसी सर्वाइव कैसे करेगी । डेमोक्रेसी का जो सब से मजबूत पिलर है अगर वह सब से इन्फोरियर बना दिया जाय, सब से कमजोर बना दिया जाय तो डेमोक्रेसी कैसे चल सकती है । वह मकान तो गिर जायगा जिस का पिलर कमजोर होगा । तो मैं कोई तनख्वाह की ही बात नहीं करता, मैं बात यह करता हूं कि हिन्दुस्तान में अगर एक पार्लियामेंट के मेम्बर को 500 रुपया मिलता है तो हिन्दुस्तान में 500 से ज्यादा किसी को नहीं मिलना चाहिए । अगर हिन्दुस्तान में एक पार्लियामेंट के मेम्बर के ऊपर हजार रुपया खर्च होता है तो हिन्दुस्तान में किसी पर भी एक हजार रुपये से ज्यादा खर्च नहीं होना चाहिए । ताज्जुब की बात है कि हम एक ही जगह से चुन कर आते हैं, मिनिस्टर हमारे कोलीग हैं, लेकिन जिस रोज वह मंत्री बन जाते हैं और उस के बाद हम उन को चिट्ठी लिखते हैं तो अपने ही कोलीग को चिट्ठी का पता वह लगवाते हैं एक अफसर से कि यह ठीक लिखी गयी है या नहीं । ऐसा होता है या नहीं ? राष्ट्रपति भवन में शपथ लेते ही हमारी बिरादरी से खारिज हो जाते हैं यह लोग । यह कितने दुख: की बात है । इससे ज्यादा अफसोसनाक बात कुछ हो सकती है ? जिस रोज मिनिस्टर फंसते हैं, जिस रोज मिनिस्टर होते हैं उस रोज तीन लाइन ह्विप इश्यू कर देते हैं, हमारी जबान भी बन्द कर देते हैं । इससे ज्यादा अपने साथियों के साथ कोई गुनाह कर सकता है जो आज की सरकार कर रही है ?

सभापति महोदय, मैं आपकी मार्फत ओम मेहता जी से पूछना चाहता हूं कि क्या इससे बड़ा गुनाह कोई कर सकता है जो आप कर रहे हैं ? आपने तीन लाइन ह्विप जारी कर दी और हमारी कोई चिट्ठी जाए तो आप पूछें कि यह चिट्ठी ठीक है कि नहीं । आपके आई० ए० एस० 3 हजार रुपये लें, आपका जज 5 हजार रुपये ले और आपके एम० पी० की यह हालत हो । जब मैं रोशनलाल जी को देखता हूं, अपने आपको देखता हूं, जब मुझे साधूराम याद आता है, मैं भी हार्ट पेशेन्ट हूं, ईमानदारी की बात है कि जिस रोज मैं रेल में सफर करता हूं, मैं अपने बेटे को साथ नहीं ले जा सकता । अपने साथी को फर्स्ट क्लास में नहीं ले जा सकता । मैं अपने साथ किसी को सफर नहीं करा सकता । हवाई जहाज के पैसे अगर अपने बेटे के लिए दूं तो जो मुझे टी०ए० मिलेगा वह सारा हवाई जहाज को देना पड़ेगा । और मैं ज्यादा नहीं कहता, केवल एक बात जरूर कहूंगा कि कम से कम हम में से जो हार्ट पेशेन्ट हैं, जिनके एक मिनट के जीवन का एतबार नहीं, उन लोगों के लिए आपको इजाजत देनी चाहिए कि वह हवाई जहाज में भी अपने साथी को सफर करा सकें, वह रेल के फर्स्ट क्लास में भी अपने साथी को ले जा सकें, कोई उनकी देखभाल कर

सके । यह दुःख की बात है कि अगर मैं अपने साथ अपने बेटे को ले जाऊं तो वह थर्ड क्लास में जाये और मैं फर्स्ट क्लास में रहूं । अगर मैं फर्स्ट क्लास में उसको सफर कराऊं तो जो मुझे टी०ए० मिलेगा वह रेलवे वाले ले जायेंगे और मुझे कोई तकलीफ हो जाए तो जब तक स्टेशन पर गाड़ी नहीं रुके वह मुझे देखने नहीं आ सकता, उसको पता नहीं लग सकता। तो सभापति महोदय, मैं फिर आपकी मार्फत पार्लियामेंटरी अफेयर्स के मिनिस्टर साहब से प्रार्थना करता हूं कि जो यहां बिल आया है, आपका तीन लाइन हिवप का डर है, हम इसको पास भी करेंगे, लेकिन हमारे दिलों की तसल्ली बिलकुल नहीं है । आपकी मार्फत मैं सदन से प्रार्थना करता हूं कि सदन ने रिवोल्ट करना होगा कि this House is the supreme in the country अगर इस हाउस के मेम्बरों के साथ कोई जज बदमाशी करता है तो उस जज को हम यहां पर खड़ा कर सकते हैं । अगर इस हाउस के मेम्बर के साथ कोई एग्जीक्यूटीव ज्यादती कर सकता है तो उसको यहां पर खड़ा कर सकते हैं । अगर लोकतंत्र को बचाना है तो इस पिलर को मजबूत करना है और मजबूत खाली इसकी तनख्वाह या पेंशन देने से नहीं या उसको मेडिसन देने से नहीं । बल्कि उसको मजबूत करना होगा अधिकार की दृष्टि से । उसे मजबूत करना होगा हर तरीके की दृष्टि से और यह मान्यता देनी होगी कि इस देश के अन्दर लोकतंत्र में सब से ऊंची बाडी पार्लियामेंट है और जब तक हम एकाध जज को सजा नहीं देंगे, उनके घरों पर छापे नहीं मारेंगे उनके इंपोर्टेड टेप रिकार्डर, टेलीविजन सेट बाहर नहीं निकाल फैकेंगे, जब तक उनको कैद की दीवार में नहीं फैंक देंगे तब तक वह समझेंगे कि ये इस देश के खुदा हैं । इसलिये दोबारा आपकी मार्फत मैं ओम मेहता जी से अपील करता हूं कि यह अधूरा जो बिल है इसको हम जरूर पास करेंगे, लेकिन मेहरबानी करके जो हार्ट पेशेन्ट हैं, चाहे आप आर्डिनेंस करा दें, उनके साथ एक्सपेनियन जरूर होना चाहिए । इसके अलावा जो मैम्बर यहां 10 साल रह जाये, मैं दो टर्म की बात इसलिये नहीं कहता क्योंकि मेरी अधूरी टर्म रही है, या 6 साल इस हाउस का मैम्बर रह जाये . . .

कुछ माननीय सदस्य : 6 साल ठीक हैं ।

श्री सुलतान सिंह : उसकी पेंशन होनी चाहिए । उसके पास रेलवे पास होना चाहिए और उसको मैडिकल बैनिफिट भी मिलना चाहिए । इतनी प्रार्थना मैं करना चाहता हूं ।

श्री महाबीर प्रसाद शुक्ल : माननीय सभापति महोदय, पहले से मेरा इरादा इस विधेयक पर बोलने का नहीं था, लेकिन इस सदन में बैठने के बाद और अपने साथियों की बातें सुनने के बाद, मेरे मन में भी विचार आया कि मैं भी इस सदन के सामने अपने विचार रखूं ।

सभापति महोदय, आप को राजनीतिक और सामाजिक जीवन का स्वतः एक लम्बा अनुभव है । मैं भी भी अपने भाषण को अपने राजनीतिक जीवन के एक एक्सीडेन्ट से, घटना से आरम्भ करना चाहता हूं । 1935 में मैं इलाहबाद जिला परिषद् में कांग्रेस पार्टी का एक सदस्य चुना गया । उस समय के मुंशी ईश्वर शरण का नाम आपने सुना होगा, जिन्होंने इलाहबाद में हरिजन आश्रम की स्थापना की थी और वे उस समय केन्द्रीय असेम्बली के सदस्य थे । हरिजन आश्रम वहां

[श्री महावीर प्रसाद शुक्ल]

मेरे छात्रावास के पड़ोस में ही किसी प्रोफेसर के आउट हाउस में था। जो आश्रम में काम करने वाले विद्यार्थी थे वे प्रायः प्रति दिन सांयकाल उनके यहां जाया करते थे और मिला करते थे। सन् 1935 में मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ला का अन्तिम वर्ष का विद्यार्थी था। हमारे कुछ एक कांग्रेसी साथी हरिजन आश्रम में चीफ एग्जीक्युटिव का काम किया करते थे। मेरे एक मित्र ने उनसे मुंशी जी से, जो कि उस समय केन्द्रीय असेम्बली के सदस्य थे और इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकालत भी करते थे, बड़े हर्ष से कहा कि शुल्क जी जिला परिषद् के सदस्य बन गये हैं। यह सुन कर मुंशी जी ने मुझ से पूछा कि क्यों भैया क्या वकालत करने का इरादा नहीं है? हमारे मित्र, जिनका नाम ठाकुर शिवमूर्ति सिंह था, ने कहा कि जिला परिषद् का मैम्बर होने के बाद वकालत के काम में तो और सहूलियत मिलेगी। उन्होंने कहा कि मैं केन्द्रीय असेम्बली का मैम्बर हो कर भी अपनी वकालत से वंचित हो गया हूं तो जिला परिषद् या नगर पालिका का मैम्बर क्या वकालत कर सकता है जब कि उसके घर में उसके क्षेत्र के लोग रोज बैठे रहते हैं। सभापति जी, ये बातें मैं इसलिए नहीं भूलता क्योंकि मेरे अपने राजनीतिक और सामाजिक जीवन के 56 वर्ष मेरे सामने हैं। यदि निष्ठा, ईमानदारी और लगन से कोई व्यक्ति देश की सेवा में लगे तो उसके लिये अपनी तरफ देखने के लिये एक क्षण का भी अवसर नहीं होता। हमारे इस सदन में और लोक सभा में अभी भी बहुत से ऐसे साथी हैं और मान्यवर, आप भी अगर अपनी स्मृति और ज्ञान की तरफ सोचेंगे तो आप पायेंगे कि इस सदन में कई ऐसे सदस्य हैं जिन्होंने सारा जीवन निष्ठा से कार्य और लोक सेवा में बिताया और कभी इस बात की चेष्टा नहीं की कि उनको कोई स्वतः आर्थिक लाभ हो।

श्रीमन्, इस सदन में जब मैं बोल रहा हूं तो एक सदस्य की हैसियत से नहीं बल्कि इस देश के एक छोटे से नागरिक की हैसियत से भी बोल रहा हूं। अपने उन साथियों को, जो संसद का सदस्य होते हुए भी निष्ठा से काम करते हैं, हर एक को परेशानी में देखता हूं। उनको जितनी भी सुविधाएं और जितना भी वेतन अब मिल रहा है वह उनके लिये पर्याप्त नहीं है। करांची कांग्रेस में जो यह प्रस्ताव पास हुआ था कि कोई भी उच्च से उच्च अधिकारी हमारे देश में एक हजार से ज्यादा वेतन नहीं पायेगा। हम लोग हमेशा से इस आदर्श से प्रेरित रहे, हम लोग सदैव इस तरफ ध्यान करते रहे लेकिन देश के किसी भी वर्ग की तरफ हमने यह निगाह नहीं डाली कि उस को हम वहां भी इम्पलिमेंट कर सकें।

मान्यवर, आज हमारे देश की आर्थिक स्थिति तब से लेकर आज तक काफी बदल चुकी है और यही हालत सारे जगत की है। सन् 1931 में एक हजार रुपयों की जो बात कह गई थी, उसको अगर आज कोई अर्थ-शास्त्री सारे फीगर्स को सामने रख करके विचार करे तो पता चलेगा कि ये एक हजार रुपये आज 10 हजार रुपयों के बराबर हो जाएंगे। लेकिन अगर 10 हजार रुपयों के बराबर न भी हों तो किसी भी हालत में 8 और 10 हजार के बीच में होंगे। यह बात मैं अनुमान से कह रहा हूं। इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है कि सन् 1937 में जब हमारी मिनिस्ट्री बनी तो उस वक्त की जो परिस्थिति थी और आज जो परिस्थिति है, उस पर नजर रखनी होगी। आज हमारे जो कर्त्तव्य और कार्य हैं उनको भी दृष्टि में रखना

होगा । मैं समझता हूं कि न केवल संसद् में बल्कि सारी कार्यपालिका, सारी न्यायपालिका, नगरपालिका और जिला परिषदों में जहां भी लोग काम करते हैं वहां पर वेतन का निर्धारण दो बातों के आधार पर होता है । एक तो इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जिस पद पर व्यक्ति काम करता है उस पद में कितनी योग्यता की आवश्यकता होती है और उसको कितने समय तक अपने काम में लगा रहना पड़ता है और उसके लिए कितना परिश्रम करना पड़ता है उसको दृष्टि में रख कर वेतन निर्धारित किया जाता है ताकि वह उस पद के कर्त्तव्यों क अच्छी तरह से निर्वाह कर सके । वेतन निर्धारित करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि निर्धारित वेतन के अन्दर वह व्यक्ति अपनी क्षमता, योग्यता और ईमानदारी के साथ सामान्य नागरिक की भांति अपने जीवन का निर्वाह कर सके । यही दो लक्ष्य हैं जिनको ध्यान में रख कर किसी पद का वेतन निर्धारित किया जाता है । इस दृष्टि से यदि हम देखें और हमारे देश के संसद् सदस्यों का संसार के किसी अन्य देश के संसद् सदस्यों से मुकाबला करें तो मालूम होगा कि हमारे संसद् सदस्यों का वेतन अति अल्प है और उनके प्रविलेजेज भी सीमित हैं । जैसा अभी भाई सुलतान सिंह जी ने कहा, हमारा यह प्रभुसत्ता सम्पन्न सदन है और इस सदन का सदस्य होने के नाते देश में जो हमारा सम्मान है और देश के प्रति हमारा जो कर्त्तव्य है उसके बारे में लोगों की कुछ विशेष धारणाएं हैं और हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं । इस दृष्टि से देश के प्रति हमें जिन कर्त्तव्यों का पालन करना पड़ता है उन पर भी हमें गम्भीरतापूर्वक विचार करना होगा । संसद् के सदस्यों को जिन कर्त्तव्यों का पालन करना पड़ता है उनके अलावा उन्हें अपने निजी जीवन में जिन उत्तरदायित्वों की तरफ ध्यान रखना होता है, यदि उन पर दृष्टिपात किया जाये तो सवाल यह पैदा होता है कि जो वेतन उन्हें इस समय दिया जाता है कि क्या वे वर्तमान वेतन के अन्दर अपने कर्त्तव्य और अन्य उत्तरदायित्वों का निर्वाह अच्छी प्रकार से कर पाते हैं या नहीं ? जिन सुविधाओं का जिक्र इस सदन में किया गया है मैं कहता हूं कि उनकी ओर ध्यान बहुत पहले दिया जाना चाहिए था । मुझे इस बात का भी खेद है कि हमारी हिचकिचाहट ने भी इस प्रश्न पर विचार नहीं होने दिया क्योंकि हमें इस बात का भय था कि जनता में इस प्रकार की मांग का गलत अर्थ लगाया जाएगा । आप जानते हैं कि अन्य सभी वर्गों के लोग अपना वेतन बढ़ाने के लिए स्ट्राइक का सहारा ले सकते हैं, लेकिन मैं अपने संसदीय कार्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या वे हम सदस्यों को भी स्ट्राइक करने देंगे ? क्या वे कभी हिप इशू न करके हमें इस हाउस में हाजिर न होने पर कोई एतराज तो नहीं करेंगे ? लेकिन संसद सदस्य इस प्रकार के रास्ते नहीं अपनाते हैं; क्योंकि उनके सामने सारे देश का हित तैरते रहता है । ऐसी स्थिति में जब हमारे देश के संसद सदस्य देश के हित को सदैव सामने रखते हैं तो हमें उनके निजी हित को भी ध्यान में रखना होगा और उस पर विचार करना होगा । जितनी भी मांगें इस सदन में रखी गई हैं । वे आज की हालत को देखते हुए अति अल्प और बहुत कम हैं ।

मान्यवर, इन शब्दों के साथ मैं दो तीन बातों पर खास तौर से बल देना चाहता हूं । यह ठीक है कि जितना सरकार दे सकती है वह दे । हम सरकार को किसी बात के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं और हम सरकार को सहयोग देंगे जो अब तक देते भी रहे हैं । हम अपनी मांगों के लिए स्ट्राइक भी करने वाले नहीं हैं । स्ट्राइक की बात तो मैंने यों ही कह दी । सवाल यह है कि जिन लोगों

[श्री महावीर प्रसाद शुक्ल]

ने ईमानदारी के साथ सदन में बैठ कर देश की सेवा की है और अपने कर्त्तव्यों का पालन किया है, वे लोग जब सदन से निवृत्त हो जायें तो वे अपना जीवन-यापन किस प्रकार से करें, इस पर भी हमें गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए तो कौन आपकी फिक्र करेगा? हम बेरोजगार लोगों की फिक्र करते हैं और ओल्ड ऐज की पेंशन की व्यवस्था सारे जगत में है। जो संसद् सदस्य जीवन भर लोक सेवा करता है और उसके बाद संसद् में आता है, उसको पब्लिक सर्विस कमिशन रिक्रूट करके नहीं भेजता है, बल्कि हम वर्षों से लोक सेवा, निष्ठा से जनता की सेवा करने के बाद इस योग्य समझे जाते हैं कि जनता हमें अपना प्रतिनिधि, अपना स्पोक्समैन समझ कर ही संसद् में भेजती है। जनता हमें यहां पर अपना विश्वासपात्र समझ कर ही भेजती है और यहां पर काम करते हुए हमारा सर्वोत्तम समय चला जाता है। हम जब यहां पर आते हैं तब भी हमारा यह कर्त्तव्य होता है कि हम जनता की सेवा निष्ठा के साथ करते रहें ताकि हम उनका विश्वासपात्रता, स्नेह और श्रद्धा के पात्र बने रहें और इस सदन द्वारा उनकी सेवा करते रहें।

जब हम यहां से हट जाते हैं, जब हम फिजिकली इस योग्य नहीं रहते कि हम यहां पर काम कर सकते हैं अथवा जब हम जनता का विश्वास खो बैठते हैं और हमारी पार्टी समझती है कि हम अब सेवा करने के योग्य नहीं रहे या अगर हम और किसी कारण से हटते हैं, तो उसके बाद ऐसे संसद् सदस्यों की तरफ देखने वाला कोई नहीं रह जाता है। अब आप ही सोचिये कि जब हमें अल्प सुविधाएं प्राप्त हैं और उसके बाद भी हम दवाखाने से दवा न पा सकें, खाने के मोहताज हो जायं, यात्रा के लिए फिर आना चाहें साथियों से मिलने और नेताओं के दर्शन के लिए या फिर सेज जनता की सेवा करने के लिए जाना पड़े, तो ऐसी अवस्था में हमारे पास कोई साधन नहीं रह जाता है। आज हम जो कुछ करने जा रहे हैं वह तो हमें करना ही है, लेकिन सारे दृष्टिकोण से, हमारे सम्मान के दृष्टिकोण से, हमारी सेवाओं के दृष्टिकोण से इस संस्था के सदस्य रहने अथवा न रहने से इन सारी चीजों पर विचार करना होगा और व्यापक रूप से विचार करना होगा और इसके लिए कोई दूसरा विधेयक लाना आवश्यक है। इस तरह के कार्य में हमें कोई हिचकिचाहट नहीं करनी चाहिये। हम जो कुछ भी काम कर रहे हैं वह देश के हित को सामने रखकर कर रहे हैं उसके विपरीत कोई काम नहीं कर रहे हैं। हम देश के साधनों और आर्थिक साधनों को सामने रख कर कर रहे हैं और हर चीज को देख कर कर रहे हैं।

जैसा कि मेरे साथियों ने कहा कि इस काम में देर कर दी गई है और इतनी देर करने के बाद भी वह दुरुस्त नहीं आया है। इस कार्य में हिचकिचाहट नहीं करनी चाहिये। अगर आपने मन में यह सोच लिया है कि यह कार्य करना है, हमारे लिए यह आवश्यक है, तो यह जो मांग यहां पर रखी गई है, वह बहुत ही न्यून है, कम है। आपको इससे और ज्यादा सोचना और करना चाहिये।

मान्यवर, मैं 1952 में विधान सभा का सदस्य था। जब स्वतंत्रता संग्राम देश में चलता रहा, तो उस समय मैंने वकालत पर ध्यान नहीं दिया और न ही मुझे समय ही मिला। विधान सभा का सदस्य होने के दो वर्ष बाद ही मुझे अपने व्यवसाय से अलग रहना पड़ा। उसके बाद मैं वहां से यहां आया और राज्य सभा का मैम्बर बन गया। मैं समझता था कि राज्य सभा में आने के बाद मुझे समय

मिलेगा; क्योंकि यहां पर काम कम होगा । यह एक सर्वोच्च सदन है, यहां पर रह कर मैं अपना कुछ निजी जीवन के लिए कार्य कर सकूंगा । लेकिन एक राजनीतिक, सामाजिक जीवन की उलझनों में और निष्ठापूर्वक अपना कर्त्तव्य पालन की दृष्टि से मैं यहां भी कुछ नहीं कर सका । मैं अकेले ही ऐसा उदाहरण नहीं हूं बल्कि मेरे बहुत से साथी हैं जिनके हृदयों में देश के प्रति निष्ठा और पीड़ा होगी । जिन लोगों ने समाज सेवा ईमानदारी की भावना से की होगी और अपना शरीर और मस्तिष्क जनता की सेवा में अर्पित कर दिया, तन, मन, धन लगा दिया उनकी तरफ कोई नहीं देखेगा ? ये लोग तो अपनी तरफ देखते नहीं हैं क्योंकि समाज की तरफ देखना और उसका कार्य करना ही इनका कर्त्तव्य रहता है । इसलिए देश को उनकी तरफ देखना होगा और अगर देश उनकी तरफ देखता है तो जो उनकी न्यूनतम मांगें हैं, उन्हें आपको पूरा करना चाहिए ताकि ये ईमानदारी के साथ अपना जीवन यापन कर सकें, अपने कर्त्तव्य का पालन कर सकें, जिसके लिए वे यहां पर आये हैं । जो मांगे हैं वे सिर्फ इसलिए हैं कि हम, अपने कर्त्तव्य का पालन उसी तरह से कर सकें जैसे आप मंत्री होकर करते हैं, जैसे कार्यपालिका के अधिकारी या न्यायपालिका के अधिकारी, जो जहां बैठे हैं, अपने कर्तव्य का पालन करते हैं । हम अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर पाते पूरी तरह से, इसलिये ये सब मांगें आपके सामने रखीं । इनकी ओर उपेक्षा की दृष्टि न हो, सापेक्ष दृष्टि रखें । मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अगर एक हजार का करेंसी का प्रस्ताव जो था उसके अनुसार करना चाहेंगे तो उसकी भी सीमा अब दस हजार पर पहुंचती है । इनकी ओर आपको ध्यान देना होगा । इन शब्दों के साथ मैं अपने संसदीय मंत्री जी से कहता हूं कि जितनी मांगें हैं उनको वे भूल न जायं, छोड़ न दें, उनकी तरफ तवज्जह दें और उनको पूरा करने की दिशा में कदम उठाएं ।

श्री ओम मेहता : सभापति जी, मैं आभारी हूं सब सदस्यों का जिन्होंने इसका क्वालीफाइड सपोर्ट दिया, लेकिन सबने कहा कि इसको पास कर देना चाहिए ।

तालिब साहब ने कहा कि पत्नी को सदस्य के साथ हर जगह जाने की सुविधा मिलनी चाहिए । इस वक्त यह सुविधा है कि जब सदस्य सेशन के लिए आएं, पत्नी उसके साथ आ सकती है, फर्स्ट क्लास में आ सकती है, जब वापस जायं तो फर्स्ट क्लास में वापस जा सकती है । 1964 में जब मैं यहां आया था, तालिब जी यहां थे, उस वक्त ये चीजें नहीं थीं । अब ये सब सुविधाएं मिल रही हैं । उसके बाद थर्ड क्लास में एक कम्पेनियन ले जाने की बात हुई ताकि किसी को जरूरत पड़े तो मदद मिल सके । पहले सर्वेन्ट लिखा था अब उसको बदल कर कम्पेनियन करवाया ।

सुलतान सिंह ने और बाकी दोस्तों ने जो मांग की है मैं भी समझता हूं कि वह जायज है कि जैसे वाइफ को सेशन में लाने की इजाजत है फर्स्ट क्लास से वैसे ही एक आदमी को, कम्पेनियन को किसी भी जगह ले जाने की इजाजत होनी चाहिए । अभी थोड़े फाइनेंशियल कांस्ट्रेन्ट्स हैं, अभी न कर सकें लेकिन जो जॉइन्ट कमेटी है सेलरी एंड एलाउन्सेज की. . .

SHRIMATI PURABI MUKHOPA.-DHYAY (West Bengal): Just a minute. What about those who are widows or bachelors? Widows should be accompanied by at least one family member.

श्री ओम मेहता : उस जाइन्ट कमेटी के सामने सारे मामले रख दिए जाएंगे । फिर गवर्नमेंट उस पर गौर करके मदद करने की कोशिश करेगी । (*Interruptions*)

[श्री ओम् मेहता]

मैं जानता हूं इसमें रूल्स का अमेंडमेंट होता है, हाउस में आने की जरूरत नहीं है, लेकिन वह प्रोसेस है जिसमें से गुजरना पड़ेगा ।

पहले टेलीफोन 10,800 फ्री मिलते थे, अब उनकी संख्या बढ़ा कर 15 हजार कर दी है । पहले माइलेज 32 पैसे प्रति किलोमीटर मिलती थी अब उसको एक रुपया कर दिया । डाक्टर्स दिए गए हैं । इस सबके बावजूद जैसा मैंने शुरू में कहा था हम सारे संसार में लोएस्ट पेड मेम्बर आफ पार्लियामेंट हैं ।

शुक्ल जी ने, जगदीश जोशी जी ने, मिसेज आल्वा ने यहां पर जो सेन्टीमेंट रखे मुझे उनसे पूरी सहानुभूति है । मैं जानता हूं कि जो आनेस्टली काम करता है जिस वक्त वह यहां से रिटायर होता है तो अगर वह पहले प्रेक्टिस करता था तो वह नहीं कर सकता, क्योंकि 10-12 वर्ष पार्लियामेंट का मेम्बर बनने के बाद उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि न वह अपने पुराने प्रोफेशन में जा सकता है, न उसका कोई और आमदनी का जरिया रहता है ।

श्री गुजनन्द ठाकुर (बिहार) : डा० त्रिगुण सेन की क्या हालत है ।

MR. CHAIRMAN: Let him finish. Do not interrupt.

श्री ओम् मेहता : जब मैं वर्क्स एंड हाउसिंग का मंत्री था तब कई मेम्बर मेरे पास आते थे और जब मैं उनसे पूछता था कि आप क्या करना चाहते हैं तो वे बताते थे कि जो पहले हमारा प्रोफेशन था वह तो खत्म हो गया, खेतीबाड़ी, जो दूसरे लोगों को देकर आए थे पार्लियामेंट मेम्बर बनते समय उस पर उन्होंने कब्जा कर लिया, अब हमारे पास कोई साधन नहीं है, अगर आप दूकान दे देंगे तो पान और सिगरेट की दूकान कर लेंगे । अगर थोड़ी सी जगह दिला देंगे तो चक्की लगा लेंगे । बहुत से एक्स-मेम्बर्स के केसेज मेरे पास आए (*Interruptions*) मैंने मेहरबानी की या नहीं, उनकी हालत देख कर आंसू आ जाते थे कि जो लोग विधान बनाते हैं, रिटायर होते समय उनकी हालत इतनी खराब हो जाती है ।

अब यह सजेशन जो था वह ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी के पास गया था लेकिन उन्होंने इसे रिजेक्ट कर दिया । मैं उम्मीद करता हूं कि वह इस पर दुबारा गौर करेंगे और देखेंगे कि यह कहां तक हो सकता है । यह सजेशन गवर्नमेंट के पास भी जायगा और वह भी देखेगी । अगर ऐसा हो सकता है तो वह उस पर गौर करेगी । लेकिन जो दूसरी बात हैं, यह जरूर है कि उन को करना चाहिए, लेकिन मैं आखिर में फिर यही कहूंगा कि अभी जो हमारी इकोनामिक सेचुयेशन है उस में अगर हम कोई और बड़ी बात कर दें तो हो सकता है कि उस का असर अच्छा न हो । इस इकोनामिक सेचुयेशन में जो कुछ थोड़ा बहुत हम कर सके हैं हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग उस को सपोर्ट करेंगे और यह चैप्टर तो बंद नहीं हुआ है । ज्वाइंट कमेटी अगर सेलेरीज ऐंड एलाउन्सेज है वह इस को दुबारा ले सकती है । 1964 में जब मैं आया था तो पे 400 रुपया थी और डेली एलाउन्स 31 रुपया था । अब वह 500 रुपया और डेली एलाउन्स 51 रुपया हो गया है । उस के साथ ही यह कंपेनियन के लिये प्राविजन हुआ है और कुछ और सुविधायें भी हम दे रहे हैं ताकि पार्लियामेंट के मेम्बर एफेक्टिव हो सकें न सिर्फ पार्लियामेंट में ही बल्कि अपनी कांस्टीट्यूयेंसी में भी । एक बात महापात्र जी ने कही थी कि हमारे जो मेम्बर राज्य सभा के हैं उन की कांस्टीट्यूयेंसी कौन सी होगी । उन की कांस्टीट्यूयेंसी तो उन का पूरा स्टेट है । वह

सारे स्टेट में जा सकते हैं । इसी बात पर जो ज्वायंट कमेटी ऑन सैलेरीज ऐंड एलाउंसेज की है उस ने विचार किया था और उस ने कहा था कि राज्य सभा के मेम्बरों की कांस्टीट्यूयेंसी पूरा स्टेट हो सकती है और उन को सारे स्टेट में घूमना और सारे स्टेट के लोगों की हालत को देखना चाहिए । तो मैं समझता हूं कि उन को कोई दिक्कत नहीं होगी और जिस तरह से वह लोक सभा के मेम्बरों को मिलेगा वैसे ही वह राज्य सभा के मेम्बरों को भी मिलेगा । मैं ज्यादा न कह कर अन्त में एक बात यह कहना चाहता हूं कि सुलतान सिंह जी ने कहा था कि मैं व्हिप ईश्यू कर दिया करता हूं । इस बिल के लिये मैंने कोई व्हिप इश्यू नहीं किया है । और अगर न चाहें तो इस बिल को रिजेक्ट कर सकते हैं । आप जैसे चाहें इस पर उस तरह से वोट दे सकते हैं ।

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill further to amend the Salaries and Allowances of Members of Parliament Act, 1954, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

The *motion was adopted.*

MR. CHAIRMAN: We shall now take up clause by clause consideration of the Bill.

Clauses 2 *and* 3 *were added to the Bill.*

Clause 1, *the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.*

SHRI OM MEHTA: Sir. I move; "That

the Bill be passed."

The question was put and the motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: The House will reassemble at 2.30 P.M.

The House then adjourned for lunch at nine minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at thirty-two minutes past two of the clock Mr. Deputy Chairman in the Chair.

MESSAGE FROM THE LOK SABHA

The Constitution (Fortieth Amendment) Bill, 1975

SECRETARY-GENERAL: Sir, I have to report to the House the following message received from the Lok Sabha, signed by the Secretary-General of the Lok Sabha:

"In accordance with the provision of Rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Busines9 in Lok Sabha I am directed to enclose herewith the Constitution (Fortieth Amendment) Bill, 1975, which has been passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 7th August, 1975, in accordance with the provisions of article 368 of the Constitution of India".

Sir, I lay the Bill on the Tablf\

THE PUBLIC FINANCIAL INSTITUTIONS LAWS (AMENDMENT) BILL, 1975

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): Sir, I beg to move;

"That the Bill further to amend the Industrial Development Bank of India Act, 1964, the Reserve Bank of India Act, 1934, the Industrial Finance Corporation Act, 1948, the State Financial Corporations Act, 1951, the Life Insurance Corporation Act, 1956 and the Unit Trust of India Act, 1963, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

Sir, the House may recall that the Public Financial Institutions Laws (Amendment) Bill, 1973, which was